حج کمیٹی آف اِنڈیا

हज़ कमेटी ऑफ इंडिया

(विदेश मंत्रालय की वैधानिक संस्था)

हज़ जवानी में करें क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह जल्लेशानहु अपने साये में उस जवान को जगह अता फरमायेगा जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता हो।

जो हज का इरादा करे उसको चाहिए कि वह जल्दी करे।

किताबचा

हिदायात और हज दरख़्वास्त फार्म

बराए

हज़ १४३७ (हि) - २०१६ (सी.ई.)

हज़ दरख्वास्त फार्म जमा करने की आखरी तारीख़

८ फरवरी, २०१६

(यह किताबचा मुफ्त तक़सीम किया जाता है)

नोट :

१. हज दरख्वास्त फार्म भरने से पहले हिदायात को ब-गौर पढ़ लें।

२. हज दरख्वास्त फार्म सीधे हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई को न भेजे जाएं। सीधे हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई को भेजे गए फार्म कुबूल नहीं किए जाएंगे। ऐसी दरख्वास्तें न ही आजमीन को वापस की जाएंगी और न ही मुताल्लिका प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरी हज कमेटी को भेजी जाएंगी।

३. मुताल्लिका प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरीज कमेटी में हज दरख्वास्त फार्म जमा कराने की आखिरी तारीख ८ फरवरी २०१६ है।

४. मुताल्लिका प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरीज हज कमेटी में हज दरख्वास्त फार्म जमा कराने पर वसूली रसीद (Acknowledgement) . जरूर लें। मुताल्लिका प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरी हज कमेटी से अपना कवर नंबर ज़रूर हासिल करें।

५. हिदायात और हज दरख्वास्त फार्म पर मुशतमिल यह किताबचा बराए हज १४३७ (हि), ब-मुताबिक २०१६ (सी.ई.) मुताल्लिका प्रदेशीय/यूनियन टरिटरी हज कमेटी के दफ़्तर से मुफ्त हासिल किया जा सकता है। दरख्वास्त फार्म हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाईट **hajcommittee.gov.in** से भी हासिल किए जा सकते हैं। दरख्वास्त फार्म की फोटो कापी भी इस्तेमाल की जा सकती है।

६. हज दरख्वास्त फार्म को हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाईट **hajcommittee.gov.in** पर ऑनलाईन भी भरा जा सकता है।

७. जमा की जानेवाली सभी तस्वीरे सामने के रुख की, (जिसमे ७०% चेहरा दिखे), तस्वीर का साईज ३.५cm x ३.५cm हो, रंगीन हो, जिसका पसमंजर (Background) सफेद हो और तस्वीर के पीछे नाम और पासपोर्ट नंबर लिखा होना चाहिए।

पासपोर्ट के साथ जमा की जाने वाली तस्वीर इस तरह चिपकाइये।

चिपकने वाले टेप

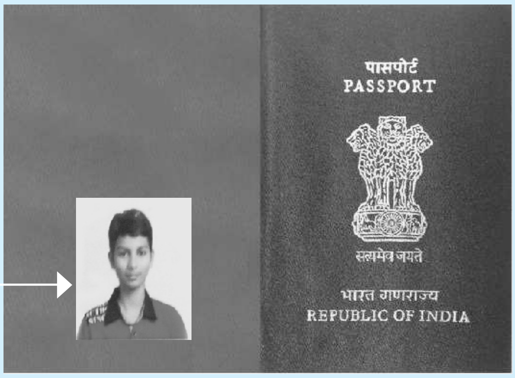

हर हाजी के लिए मियारी सामान की इजाज़त :-

तफसील	सामान की तादाद	वजन	हजम (साइज)
चेक-इन किया हुआ सामान 22 kgs 22 kgs	दो सूट केस	हर एक २२ किलोग्राम के वजन तक का हो	(लंबाई + चौड़ाई + ऊंचाई) १५८ सेंटिमीटर कुल
हेंड बैग 10 kgs	एक हेंड बैग	१० किलोग्राम वजन तक	५५ सेंटिमीटर X ४० सेंटिमीटर X२३ सेंटिमीटर

हज कमेटी ऑफ इंडिया

(विदेश मंत्रालय की वैधानिक संस्था)

हज 1437 (हि). ब-मुताबिक 2016 (सी.ई.) के लिए हिदायात

हज कमेटी ऑफ इंडिया, हज कमेटी एक्ट, 2002 (2002 के नंबर 35) के तहत बनी वैधानिक संस्था है। यह हज 2016 के आजमीने कराम के लिए हिदायात के किताबचे को जारी कर रही है। आजमीने कराम से गुजारिश है कि वह दरख्वास्त फार्म भरने से पहले इन हिदायात को ब-गौर पढ़ लें।

1. आम मालूमात:

i) हज के इंतेजामात के लिए मुख्तलिफ एजेंसियो को उनसे मुताल्लिक काम सौंपे गए हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया को मौजूदा उसूल व जवाबित के तहत सिर्फ हिंदुस्तान में हज के इंतेजामात करने की जिम्मेदारी दी गई है। आजमीने कराम के जद्दाह/मदीना मुनव्वरा एअरपोर्ट में पहुंचने पर और सऊदी अरबिया में उनके कयाम के दौरान उनकी देखभाल और शिकायात को दूर करने की जिम्मेदारी भारत के कौंस्लेट जनरल, जद्दाह की है। आजमीने हज को उनके सामान के साथ लाने और ले जाने की जिम्मेदारी सिविल एविएशन मंत्रालय की है और यह मंत्रालय इसमें केंद्रीय भूमिका निभाता है। आजमीने हज को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की निगहबानी के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया जिम्मेदार है, लिहाजा किसी भी किस्म की कमी या कोताही हज कमेटी ऑफ इंडिया के इल्म में लाई जानी चाहिए।

ii) हज से संबन्धित सभी कार्यों के निष्पादन में हज कमेटी ऑफ इंडिया का सिर्फ प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरीज हज कमेटीयों से ही इंतेजामिया रिश्ता है न कि किसी निजी तंजीम, एजेंसी या व्यक्ति से। आजमीने हज को आगाह किया जाता है कि इस तरह के व्यक्ति, एजेंसी या तंजीम के बहकावे में ना आएं, जो कार्यों के निष्पादन के सिलसिले में अपना तआल्लुक हज कमेटी ऑफ इंडिया से बताएं।

iii) आजमीने कराम को जो रकम बैंक के जरिए से हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाऊंट में अदा की जानी होती है, इस की तफ्सील की इत्तेला हज कमेटी ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट, प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरीज हज कमेटीयों को जारी किए गए सरकुलर, एस. एम.एस के जरिए करती है। कोई भी रकम किसी निजी तंजीम, एजेंसी या व्यक्ति को जमा नहीं करानी होती है। आजमीने हज को बताया जाता है कि ऐसी किसी भी फैलाई गई अफवाहों पर ध्यान न दें और ऐसा कोई मामला सामने आए तो उसकी इत्तेला सीधे चीफ एक्जेक्यूटिव्ह ऑफिसर, हज कमेटी ऑफ इंडिया, हज हाऊस, 7-ए, एम.आर.ए मार्ग (पलटन रोड), मुंबई, 400001 को फैक्स नंबर 022-22630461 पर दें।

iv) ऐसे शीया आजमीने हज जो जोहफा मीकात से जाना चाहते हैं, हज दरख्वास्त फार्म में इसका जरूर निशान लगाए, जिसके लिए उनको एक अतिरिक्त रकम, जो कि अलग से बताई जाएगी, अदा करनी होगी।

2. हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए हज, जिंदगी में सिर्फ एक बार:

एक मुसलमान व्यक्ति हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज “जिंदगी में सिर्फ एक बार” कर सकता है। लेकिन महिला आजिमे हज के महरम और 70 बरस से ज्यादा उम्र के हाजी के साथी रिपीटर हो सकते हैं, जब कि ऐसे कोई महरम या साथी मौजूद न हो जिसने पहले कभी हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए हज न किया हो। और ऐसे रिपीटर अफराद सिविल एविएशन मंत्रालय के मुताबिक पूरा किराया अदा करने के लिए राजी हों। अगर खातून आजिमे हज या 70 बरस से ज्यादा उम्र के हाजी अपनी हज को सीट रद्द करें तो ऐसी सूरत में ऐसे रिपीटर (दोबारा जाने वाले) हाजी की सीट भी खुद ब खुद रद्द हो जाएगी। ऐसे रिपीटर आजमीन को एक इकरार-नामा (डिक्लेरेशन) जमा करना पड़ेगा, जिसका खाका हिदायत के साथ मुंसलिक है।

3. हज के दरख्वास्त फार्म (HAF) और हिदायत के किताबचे की दस्तयाबी:

दरख्वास्त फार्म सहित हिदायात बराए हज 1437 (हि), ब-मुताबिक 2016 (सी.ई.) मुताल्लिका प्रदेशीय/यूनियन टरिटरी हज कमेटी के दफ्तर से मुफ्त हासिल किये जा सकते हैं। दरख्वास्त फार्म हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट **hajcommittee.gov.in** से भी हासिल किए जा सकते हैं। दरख्वास्त फार्म की फोटो कापी भी इस्तेमाल की जा सकती है। हज की दरख्वास्त **hajcommittee.gov.in** पर ऑनलाईन पर भी जमा (submit) कर सकते है।

4. अहलियत बराए हज:

ऐसे तमाम हिंदुस्तानी शहरी जो मुसलमान हों, हज के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, सिवाए नीचे दिए लोगों के:

i) ऐसे लोग जिनके पास ऐसा मशीन रिडेबल वैध भारतीय अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट न हो, जो **8 फरवरी 2016** या उस से पहले जारी किया गया हो और उसकी मीयाद कम से कम **10 मार्च 2017** तक हो।

ii) ऐसे लोग जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए से पहले हज कर चुके हों। यानि दोबारा हज पर जाने वालों (रिपीटर्स) पर पाबंदी है। (इस बारे में पूरी जानकारी ऊपर पैराग्राफ नंबर 2 में दी गई है)

iii) ऐसे लोग जो दिमागी या जिस्मानी सेहत के लिहाज से सफरे हज पर जाने के काबिल न हों।

iv) ऐसे लोग जिनकी टांगें कटी हों, पैर और हाथ सलामत न हों, मजज़ूब/पागल या किसी और जिस्मानी व जेहनी मआजूरी वगैरा में मुब्तेला हों।

v) ऐसे लोग जो पोलिओ, तपेदिक, सिल, शदीद कोहना, दमा, दिमागी इंतेशार, मुतादी जुजाम, एड्स या किसी भी किस्म की छूतछात वाली बीमारी या जिस्मानी माजूरी में मुब्तेला हों।

vi) ऐसी महिलाएं जो हमल (प्रेगनेंसी) के आखिरी अय्याम में हों, खसूसन सऊदी अरब जाने की फ्लाइट क वक्त।

vii) ऐसी महिलाएं जिनके साथ शरई महरम न हों।

viii) ऐसे लोग जिनके ऊपर किसी अदालत ने हिंदुस्तान से बाहर जाने पर रोक लगा दी हो।

5. पासपोर्ट जमा करने के बारे में:

5.1 पासपोर्ट जमा करने के बारे में दरख्वास्त गुजारों को नीचे दिए ग्रूपों में रखा गया है:

ग्रूप एक :

a) आसाम, बिहार, त्रिपुरा और मगरिबी बंगाल के तमाम;

b) **किसी भी प्रदेश के रिजर्वड कॅटेगिरी-ए :** 70 बरस से ज्यादा की उम्र के दरख्वास्त गुजार एक साथी के साथ

c) **रिजर्वड कॅटेगिरी-बी :**

i) गुजरात, केरल और उत्तराखंड राज्यो के लगातर पाचंवी बार के दरख्वास्त गुजार ;

ii) गुजरात, केरल और उत्तराखंड राज्यो के अलावा अन्य राज्यो के लगातर चौथी बार के दरख्वास्त गुजार

के दरख्वास्त गुजारों को अपने हज दरख्वास्त फार्म के साथ अपना अस्ल पासपोर्ट जमा करना होगा और एक अदद तस्वीर पासपोर्ट की पुश्त पर चिपकने वाले टेप से चिपकाई गई हो। तस्वीर के पीछे नाम और पासपोर्ट नंबर लिखा होना चाहिए।

नोट: ऊपर दिए गऐ दरख्वास्त गुजारों के हज दरख्वास्त फार्म के साथ असल पासपोर्ट जमा कराना इस बात की जमानत नहीं है कि उनका चुनाव हो गया है। अगर प्रदेश में भेजी गई दरख्वास्तें, प्रदेश के कोटे से ज्यादा होगी तो ऐसी हालत में ऐसे दरख्वास्त गुजारों के चुनाव के लिए भी कुर्रा-अंदाजी की जाएगी।

ग्रूप दो:

ऊपर दिए ग्रूप एक के दरख्वास्त गुजारों के अलावा तमाम दरख्वास्त गुजारों के लिए लाजिमी है कि वह अपने हज दरख्वास्त फार्म के साथ इंटरनेशनल पासपोर्ट की खुद से तस्दीक शुदा (Self-Attested) फोटो कॉपी जमा करें। कुर्रा-अंदाजी में आरिजी तौर पर जिन आजिमीन का चुनाव हो उनके लिए लाजिम है कि वह अपने असल पासपोर्ट जिसके पीछे, एक तस्वीर चिपकने वाले टेप के जरिए चिपकाई गइ हो, अपने मुताल्लिका प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरी हज कमेटी में **15 एप्रिल 2016** या इस से पहले जमा कराएं। अगर बताई गई आखिरी तारीख तक पासपोर्ट जमा नहीं कराए गए तो आरजी तौर पर चुने गए दरख्वास्त गुजार को बगैर किसी इत्तेला के रद्द कर दिया जाएगा।

5.2 **पासपोर्ट जमा करने की तारीख की तौसी (तारीख को बढ़ाना):**

नीचे दी गई वजहों और हालात के तहत आजिमीने कराम की जानिब से दरख्वास्त किए जाने पर असल पासपोर्ट के जमा करने की तारीख में **15 जुलाई 2016** तक बढाई जाएगी :

a) गैर मुकीम हिंदुस्तानी (एन.आर.आई) ;

b) ज्यादातर सफर में रहनेवाले अफराद ;

c) उमरा जाएरीन ;

e) दफ्तर में काम करने वाले ;

d) तिब्बी इलाज या पारिवारिक वजह से दूसरे देश का सफर करने वाले.

देर से पासपोर्ट जमा करने के लिए तहरीरी दरख्वास्त देना लाजिमी होगा, जिसमें वजह बताई गई हो। दरख्वास्त के साथ, दी गई वजूहात का कागजी सुबूत, जिसमें खुद से तस्दीक शुदा पासपोर्ट की कॉपी की नकल, नौकरी/रिहाएशी वीजा, एम्प्लॉयमेंट लेटर वगैरा शामिल हैं, मुन्सलिक (अटैच्ड) हों। दरख्वास्त गुजार इसे नोट करें कि इस तरह की कोई भी तौसी सिर्फ मुताअल्लिका व्यक्ति को ही दी जाएगी, न कि उसके साथी दरख्वास्त गुजारों को, जिनके लिए लाजिमी है कि अपने असल पासपोर्ट बताई गई तारीख तक जमा कराएं। ताहम ये नोट किया जाए की, हज विजा तब तक नही लिए जायेगे जब तक कवर के सभी दरख्वास्त गुजारो के पासपोर्ट जमा नही हो जाते। किसी भी दरख्वास्त गुजार की जानिब से तौसी की गई तारीख तक पासपोर्ट जमा न करने की सूरत में उसकी सीट को बगैर किसी इत्तेला के रद्द कर दिया जाएगा।

नोट : हज की रक्कम जमा करने की अन्तिम तिथि मे कोई बढोत्तरी नही की जायेगी।

5.3 **हज से पहले पासपोर्ट वापस नही किये जायेंगे :**

आम तौर पर पासपोर्ट हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जमा कराने के बाद वापस नही किया जायेगा । हज विजा लगने के बाद किसी भी हालत मे पासपोर्ट वापस नही किया जायेगा ।

6) दरख्वास्त देने का तरीका:

i) **कवर:**

a) कवर का मतलब एक ग्रूप में एक साथ दरख्वास्त देने वाले अफराद (व्यक्ति) हैं। एक कवर में सिर्फ एक ही खानदान के या नजदीकी रिश्तेदार ही दरख्वास्त दें।

b) कवर का सरबराह (हेड) एक बालिग मर्द ही हो सकता है, जो कि कवर में मौजूद तमाम दरख्वास्त गुजारों की रकमों (पेमेंट) की अदाएगी का जिम्मेदार होगा।

c) एक कवर के तमाम दरख्वास्त गुजारों का रिहाईशी दर्जा एक जैसा होना चाहिए। एक कवर के तमाम दरख्वास्त गुजार एक साथ सफर करेंगे किसी भी सूरत में कवर के दरख्वास्त गुजारों को अलग अलग नहीं किया जा सकता।

d) किसी कवर के सरबराह (हेड) की जानिब से सफरे हज रद्द करने पर लाजिम है कि वह उसी कवर के दूसरे मर्द आजिमे हज की बतौर नए सरबराह के निशान-देही करे।

e) ऐसा मर्द दरख्वास्त गुजार जो कि कवर में मौजूद खवातीन (महिला) दरख्वास्त गुजार का महरम हो और अपनी सीट रद्द कर रहा हो, उसके लिए लाजिम है कि उसी कवर में मौजूद किसी दूसरे मर्द की बतौर महरम उसकेसाथ खातून का रिश्ता बताते हुए निशान-देही करे। वरना उस खातून या खवातीन आजिमीन की दरख्वास्त रद्द हो जाएगी। कवर के अलावा किसी दूसरे मर्द दरख्वास्त गुजार को महरम बनाने की इजाजत सिर्फ मजबूर करने वाली वजूहात मसलन मौत या तिब्बी वजूहात वगैरा की बुनियाद पर दी जाएगी।

f) कवर साईज कम से कम एक दरख्वास्त और ज्यादा से ज्यादा पांच बालिग अफराद और दो बच्चों की दरख्वास्त होगा। (अगर खानदान के अफराद की तादाद पांच से ज्यादा है तो एक से ज्यादा कवर में दरख्वास्त दें)

नोट: 1) बच्चे ऐसे दरख्वास्त गुजार हैं जो **20 अक्टूबर 2016** तक या वापिसी की आखिरी हवाई उड़ान तक, उन दोनों में जो भी जल्द हो, दो बरस मुकम्मल कर लेंगे। ऐसे बच्चे का सफरे हज मुफ्त नहीं है, उनसे पूरा किराया (सिविल एविएशन मंत्रालय की जानिब से, जिसकी इत्तेला अलग से दी जाएगी) की 10 फीसद रकम ली जाएगी।

2) बच्चों के अलावा और तमाम दरख्वास्त गुजार बालिगों की कॅटेगिरी में शुमार किए जाएंगे और उनसे हवाई जहाज का पूरा किराया लिया जाएगा। इसी मुनासिबत से उन्हें हज की रकम की अदाएगी करनी पड़ेगी।

ii) **कवर नंबर:**

प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरी हज कमेटियों के जरिए हज के दरख्वास्त गुजारों की तफ्सीलात की एंट्री / वेरिफीकेशन करने के बाद IHPMS सॉफ्टवेयर पर कंप्यूटर से एक मुनफरिद नंबर हासिल होता है जो कवर नंबर कहलाता है। कंप्यूटर में डाटा एंट्री करने के बाद प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरी हज कमेटियां हर कवर के सर-बराह को कवर नंबर की इत्तेला करती है। बाद में तमाम खतो किताबत के लिए कवर नंबर का इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। आजिमीने कराम के लिए लाजिम है कि अपनी मुताल्लिका प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरी हज कमेटी से अपना कवर नंबर हासिल करें, क्योंकि कोई भी हज की दरख्वास्त बगैर कवर नंबर के काबिले कुबूल नहीं होगी।

iii) **दरख्वास्त :**

a) हज दरख्वास्त फार्म **hajcommittee.gov.in** पर ऑनलाईन भर सकते है।

b) हज दरख्वास्त फार्म हाथ से भी भर कर जमा किया जा सकता है।

c) हज दरख्वास्त फार्म को हिदायात पर सखती से अमल करते हुये सिर्फ अंग्रेजी के बडे अक्षरो (Block Letters) मे ही भरा जाये ।

d) हर दरख्वास्त फार्म पर दरख्वास्त गुजार की ताजा तरीन फोटो चिप्काना जरूरी है।

iv) **रिहाइशी सुबूत:** नीचे दिए हुए तरीके से हज की दरख्वास्त के साथ रिहाइश के सुबूत मुंसलिक किए जाने चाहिए:

a) अगर पासपोर्ट में दर्ज पता ही मौजूदा पता है तो पासपोर्ट की नक्ल।

b) अगर मौजूदा पता पासपोर्ट में दर्ज किए गए पते से अलग है तो नीचे दिए गए खुदसे तसदीकशुदा (Self-attested) दस्तावेज (डॉक्यूमेंट) में से कोई एक :

1) राशन कार्ड
2) ड्राइविंग लाइसेस
3) बिजली बिल
4) टेलीफोन बिल (लैण्डलाइन)
5) पानी का बिल
6) गॅस कनेक्शन
7) निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
8) आयकर निर्धारित आदेश
9) बैंक पास बुक
10) आधार कार्ड
11) किसी भी सरकारी विभाग द्वारा जारी कर्मचारी पहचान पत्र

v) **वापस न की जाने वाली (नॉन रीफंडेबल) प्रोसेसिंग फीस :**

हर एक दरख्वास्त गुजार बच्चोंके इलावा को रु. 300/- वापस न की जाने वाली प्रोसेसिंग फी निचे दिये गए तरिके से जमा करें :

a) ऑनलाईन से **hajcommittee.gov.in** पर ; या

b) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखामे हज कमिटी ऑफ इंडिया के खाता संख्या -**35398104789"HAJ PILGRIM PROCESSING FEE A/C – COLLECTION 2016"** मे ; या

c) युनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसा भी शाखामे हज कमिटी ऑफ इंडिया के खाता संख्या - **318702010406010 "HAJ PROCESSING FEE ACCOUNT"** मे ।

किसी भी बैंक शाखा में रक्कम जमा करने के लिए बुकलेट मे मौजुद गुलाबी रंग की पे-इन-स्लिप इस्तेमाल करे, जो इस बुक मे मुनसलिक हैं।

नोट : इस वापस न की जाने वाली प्रोसेसिंग फी मे से 200/- रुपये प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरी हज कमेटीयों को दिये जाते है।

vi) हज दरख्वास्त गुजारों को चाहिए कि नामजद शख्स (Nominee) की तफसील, जिस से मुश्किल हालात में हिंदुस्तान या सऊदी अरबिया में राब्ता किया जा सके, दरख्वास्त फार्म में सही तरह से दर्ज करें। नामजद शख्स (Nominee) दरख्वास्त गुजार का नजदीकी रिश्तेदार हो, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता हाजी की मौत होने पर वही नामजद शख्स रीफंड (रकम की वापसी) का हकदार होगा।

vii) रिहाइशी दर्जे का इन्तखाब सोच समझकर करें, क्योंकि एक बार चुनाव किए हुए रिहाइशी दर्जे को किाी भी तरह तब्दील नहीं किया जा सकता। (हज 2015 मे ग्रीन दर्जे का कुल खर्च लगभग रु. 2,13,000/- और अजीजीय दर्जे का कुल खर्च तक तकरिबन रु.1,80,000/- था ।)

viii) हज की दरख्वास्त फार्म में सही रिहाइशी पता दर्ज किया जाना लाजिमी है। गलत मालूमात फराहम करने पर हज की दरख्वास्त रद्द कर दी जाएगी और जमा शुदा रकम जब्त कर दी जाएगी।

ix) हज के दरख्वास्त गुजारों को चाहिए कि वह मोबाइल के सही नंबर दरख्वास्त फार्म में दर्ज करें, जिस पर हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से उसको भेजे गए एस.एम.एस. मौसुल हो सकें और यह मोबाइल नंबर, डू नॉट डिस्टर्ब की रजिस्ट्री में दर्ज न हों।

x) दरख्वास्त गुजार को चाहिए कि रकम की वापसी (रिफंड) की सहूलियत के मद्देनजर अपने बैंक अकाऊंट की तफसील, जो ऐसे बैंक में हो, जिस में आई.एफ.एस. कोड मौजूद हो, हज के दरख्वास्त फार्म में दर्ज करें ताकि किसी किस्म की रकम की वापसी आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी के जरिए आसानी से की जा सके। इन तफसीलात के सुबूत में दरख्वास्त गुजार को बैंक के खाली कैंसल शुदा चेक, बैंक की पास बुक के पहले सपहे की नकल मुंसलिक करना जरूरी है।

xi) **इकरार नामा :**

दरख्वास्त गुजारों के लिए लाजिम है कि हिदायात बराए हज के साथ मुंसलिक खाके के तहत एक सादे कागज पर खुद के दस्तखत से तस्दीक शुदा इकरार नामा दाखिल करें। जरूरी है की खाका कैटगरी के हिसाब से (जनरल या रिजर्व) के मुताबीक इस्तेमाल किया जाए ।

xii) **मलफूफात (Enclosures) :**

दरख्वास्त गुजार को चाहिए कि हज दरख्वास्त फार्म के साथ नीचे दिए गए दस्तावेजात की नक्ल मुंसलिक करें।

a) अपने रिहाइशी पते का सुबूत ।

b) असल पासपोर्ट/पासपोर्ट की नकल, मुनासिबत से (उपर पैराग्रफ [5] देखें) ।

c) बगैर पुर किया हुआ और कैंसल किया हुआ चेक/बैंक पास बुक के पहले सफ्हे की नक्ल ।

d) अदा की गई प्रोसेसिंग फीस की तफसील वाली पे-इन-स्लीप (Pay-In-Slip) ।

e) सादे कागज पर इकरार नामा ।

f) तसावीर।

xiii) हर आजिम के लिए लाजिम है कि हज दरख्वास्त फार्म ऐसे लिफाफे में डाल कर जिस पर बड़े हरफों में ''दरख्वास्त फार्म बराए हज 1437 (हि), ब-मुताबिक 2016 (सी.ई.)'' लिखा हो, मुताल्लिका प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरी हज कमेटी के एक्जेक्यूटिव्ह ऑफिसर को जमा करें/रवाना करें, जिससे कि वह **8 फरवरी 2016** या इससे पहले मिल जाए।

xiv) मलफूफात व दस्तावेजात के बगैर मिले हुए दरख्वास्त फार्म को ना-मुकम्मल माना जाएगा और उसे फौरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

7. महफूज जुमरे (Reserved Category):

7.1. जाबते (Conditions):

i) सिर्फ ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक बार भी हज कमेटी ऑफ इंडिया या प्राईवेट टूर ऑपरेटर या किसी भी और जरिए से हज न किया हो, महफूज जुमरे (A और B) के तहत दरख्वास्त कर सकते हैं (ऑफिशियल हज ड्युटी को छोड कर)।

ii) अगर महफूज जुमरे में मिलने वाली दरख्वास्तों की तादाद प्रदेश के कोटे से ज्यादा होगी तो इस जुमरे में चुनाव के लिए भी कुर्रा-अंदाजी की जाएगी। चुनांचे महफूज जुमरे में होने के बावजूद भी लाजिमी इंतेखाब का दावा करने का हक न होगा।

iii) महफूज जुमरे के आजिमीन को दिए गए खाके के मुताबिक खुद से तस्दीक शुदा एक सादे कागज पर इकरार नामा देना होगा।

iv) मजफूज जुमरे के तहत रजिस्ट्रेशन का आखिरी फैसला उसी वक्त होगा जब उस कॅटेगिरी की दरख्वास्तों को दरख्वास्त गुजार की जानिब से फराहम की गई तफसीलात व दस्तावेजात की मुताल्लिका प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरी हज कमेटी और हज कमेटी ऑफ इंडिया तौसीक कर लेगी।

7.2. महफूज जुमरा A: 70+ के दरख्वास्त गुजार:

i) **13 जनवरी 2016** को 70 बरस या इससे ज्यादा उम्र के दरख्वास्त गुजार (यानि वह दरख्वास्त गुजार जो **14 जनवरी 1946** को या उससे पहले पैदा हुए थे) को एक साथी (Companion) के साथ ही इस जुमरे में दर्ज किया जाएगा।

ii) इस जुमरे के तहत दर्ज होने वाले 70 बरस या उससे जादा उम्र के दरख्वास्त गुजारों के लिए एक साथी का होना लाजिमी है। ऐसे दरख्वास्त गुजार को इस जुमरे में तन्हा दर्ज नहीं किया जाएगा।

iii) सिर्फ एक साथी को इजाजत होगी जो नजदीवी अजीजो अकारिब में से हों। यानि मियां/बीवी, भाई/बहन, बेटा/बेटी, दामाद/बहू, पोता/पोती, नवासा/नवासी, भांजा /भांजी या भतीजा/भतीजी। उसके अलावा किसी दूसरे रिश्तेदार को आजीम के साथी के तौर पर सफरे हज पर जाने की इजाजत नहीं होगी।

iv) न ही सत्तर साल या उससे ज्यादा के आजिम को और न ही उसके साथी आजिमे हज को तन्हा सफर करने की इजाजत होगी। अगर किसी भी वजह से 70 बरस या उससे ज्यादा उम्र के दरख्वास्त गुजार की सीट कैंसल हो जाती है तोऐसी सूरत में साथी दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त भी खुद ब खुद रद्द हो जाएगी। असल साथी की हज की दरख्वास्त मौत की बिना पर कैंसल होने पर ही किसी दूसरे शख्स को, जो कि उस कवर का हिस्सा न हो, बतौरे साथी (Companion) इजाजत दी जाएगी।

7.3. महफूज जुमरा B : चौथी बार के हज दरख्वास्त देने वाले:

i) ऐसे दरख्वास्त गुजार जो मुसलसल पिछले तीन बरसों यानि 2013, 2014, 2015 में दरख्वास्त दे चुके हों लेकिन

a) कुर्रा-अंदाजी में जिनका चुनाव नहीं हुआ था ; या

b) चुनाव होने पर भी हज पर न जा सके

उन्हें इस जुमरे के तहत दर्ज किया जाएगा।

ii) जिस कवर के तमाम दरख्वास्त देने वाले मुसलसल तीन बरसों से दरख्वास्त देते आए हैं सिर्फ उन्हें ही इस जुमरे के तहत दर्ज किया जाएगा। दूसरे लफ्जों में अगर किसी कवर में वोई नया दरख्वास्त गुजार जो कि मुसलसल पिछले तीन बरसों से दरख्वास्त न दे रहा हो, शामिल हो जाएगा तो उस कवर को जनरल दर्जे के तहत माना जाएगा और उस कवर के किसी भी दरख्वास्त गुजार को महफूज जुमरे का फायदा नहीं मिलेगा।

iii) इस दर्जे के तहत रजिस्टर करने के लिए कवर के दरख्वास्त गुजारों को लाजिम है कि पिछले तीन बरसों के कवर नंबर की निशान-देही करें। वरना ऐसी दरख्वास्तों को जनरल कॅटेगिरी में शामिल किया जाएगा।

नोट : मनसुखशुदा दरख्वास्त की सुरत मे रिजर्व कैटेगरी का कोई फायदा नही होगा ।

7.4.

i) अगर किसी कवर में रिजर्व्ड कॅटेगिरी और जनरल कॅटेगिरी के आजमीने कराम होंगे तो कवर को जनरल कॅटेगिरी के तहत दर्ज किया जाएगा।

ii) अगर किसी कवर में रिजर्व्ड कॅटेगिरी-A, और रिजर्व्ड कॅटेगिरी-B के आजमीने कराम होंगे तो कवर को रिर्जव्ड कॅटेगिरी-B के तहत दर्ज किया जाएगा।

इंतेबाह:

नीचे दिए गए हालात में तमाम दरख्वास्तों को किसी भी मौके पर रद्द किया जा सकता है। ऐसे किसी भी दरख्वास्त गुजार को हज पर जाने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी और मरकजे रवान्गी पर आखिरी वक्त में हवाई जहाज तक से उतार लिया जाएगा। **ऐसे दरख्वास्त गुजार की जानिब से जमा की हुई पूरी रकम भी जब्त कर ली जाएगी।** इसके अलावा ऐसे दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी :

i) ऐसे दरख्वास्त गुजार जिन्होंने गलत पता दर्ज किया हो या एक से ज्यादा प्रदेशों/यूनियन टेरिटरी में हज 2016 के लिए दरख्वास्त दी हो।

ii) जनरल कॅटेगिरी के ऐसे दरख्वास्त गुजार जिन्होंने हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिये सफरे हज कर चुके होने को छुपाया हो या उसकी गलत मालूमात दी हो।

iii) रिजर्व्ड कॅटेगिरी के वह दरख्वास्त गुजार जिन्होंने हज कमेटी ऑफ इंडिया, प्राईवेट टूर ऑपरेटर या किसी और जरिए से सफरे हज कर चुके होने को छुपाया हो या इस बारे में गलत मालूमात दी हो।

8. हज दरख्वास्त फार्म जमा करना और आखिरी तारीख :

8.1 आनलाईन जमा करना :

i) हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाईट **hajcommittee.gov.in** पर जरूरी तफसिलात दी गई है ।

ii) हज 1437 (हि). ब-मुताबिक 2016 (सी.ई.) की गाईडलाईन्स ऑनलाईन दरख्वास्त गुजार पर भी लागु होगी ।

iii) ऑनलाईन दरख्वास्त फार्म भरने के बाद इसकी कॉपी तमाम मल्फुफात के साथ प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरी हज कमेटी मे जमा करनी होगी ।

iv) प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरी हज कमेटी के जरीये ऑनलाईन भरे गये तमाम तफसिलात को जाचं कर ही कवर नंबर दिया जायेगा ।

8.2 हाथ से भरकर (Manual) जमा करना :

तमाम आजमीन को हज दरख्वास्त फार्म मुताल्लिका प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरीज कमेटियों में **8 फरवरी 2016** या उस से पहले जमा कराना है। दरख्वास्त फार्म सीधे हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई को न भेजे जाएं। सीधे हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई को भेजे गए फार्म कुबूल नहीं किए जाएंगे। ऐसी दरख्वास्तें न ही आजमीन को वापस की जाएंगी और न ही मुताल्लिका प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरी हज कमेटी को भेजी जाएंगी।

8.3 आखरी तारीख :

दरख्वास्त फॉर्म जमा करने की आखरी तारीख ऑनलाईन और मॅनुअल दोनो सुरतो मे **8 फरवरी 2016** है ।

9. मिली हुई दरख्वास्तों फार्मो की मुताल्लिका प्रदेशीय/युनियन टेरिटरी हज कमेटी के जरिए जांच

9.1: प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरी हज कमेटी इस बात को यकीनी बनाएगी कि उसके दफ्तर में जमा होने वाले हर दरख्वास्त फार्म में दर्ज तमाम तफसीलात मुकम्मल तौर से पुर की गई हैं, मलफूफात/दस्तावेजात वगैरा के साथ, जैसे कि पैराग्राफ नंबर 6 (xii) में बताया गया है। दरख्वास्त फार्म जमा करने पर कवर हेड (Cover Head) को वसूली रसीद (Acknowledgement) जारी की जाएगी। हर दरख्वास्त फार्म एक्जूक्यूटिव्ह ऑफिसर, प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरी हज कमेटी के जरिए तस्दीक (Attested) और दस्तखत शुदा होना लाजिमी होगा। साथ ही दरख्वास्त गुजार का रिहाइशी सुबूत भी मुसद्देका होना चाहिए और ये भी वाजेह होना चाहिए कि दरख्वास्त गुजार मुताल्लिका प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरी के कोटे से दरख्वास्त करने का हकदार है। हज दरख्वास्तों की जांच पड़ताल के बाद IHPMS के सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री की जानी चाहिए।

9.2: आनलाईन हज दरख्वास्त जमा करने की सुरत में जमाम प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरी हज कमेटीयां पहले से की हुई डाटा एंट्री की जाचं करेंगी और उसको इन्डोर्स (Endorse) करेंगी । इसके बाद कवर हेड को रसीद जारी की जाएगी । इन्डोर्समेंट (Endorsement) प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरी हज कमेटीयों के एक्जीक्युटि्यु ऑफीसर के जरीए तस्दीक माना जाएगा ।

10. कोटा:

10.1. हर साल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से हज कमेटी ऑफ इंडिया का कोटा तय पाता है। गवरमेंट रिजर्व्ड कोटा निकालने के बाद बकिया सीटें भारत वे 36 प्रदेशों/यूनियन टेरिटरी में वहां की मुस्लिम आबादी के तनासुब से 2011 की जनगणना के मुताबिक तकसीम की जाती है।

10.2. अगर मुताल्लिका प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरी हज कमेटी में मिली हुई हज की दरख्वास्तों की तादाद इस प्रदेश के मुताय्यना कोटे से कम हो तो बचा हुआ कोटा हज कमेटी ऑफ इंडिया के हवाले हो जाएगा। ऐसी सिटों को पहले हज-2015 की महफूज कॅटेगरी (चौथी बार दरख्वास्त देने वाले) के तहेत मुंतखब न होने वाले आजमीन को मुंतखब करने के इस्तेमाल में लाया जाएगा। बची हुई सीटों को इन प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरी हज कमेटीयों में दोबारा तकसीम कर दिया जाएगा, जिन में उनके मुतय्यना कोटे से ज्यादा दरख्वास्तें मिली हुई हों।

11. कुर्रा:

कुर्रा-अंदाजी कंप्यूटराईज्ड तरीके से अमल में लाई जाती है। ऐसे प्रदेश/यूनियन टेरिटरी में जहां कोटे से ज्यादा दरख्वास्तें मिली हों, आजमीने कराम को आरजी तौर पर मुन्तखब क ने के लिए कवर की कुर्रा-अंदाजी की जाती है। कुर्रा-अंदाजी मुताल्लिका प्रदेशीय हज कमेटियों के जरिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के सरवर (Server) पर रहने वाले आई.एच.पी.एम.एस. सॉफ्टवेयर पर की जाएगी। कुर्रा-अंदाजी की तारीख और दूसरी तफसीलात मुताल्लिका प्रदेशीय हज कमेटियों की जानिब से लोकल अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए बताई जाएगी। कुर्रा-अंदाजी के फौरन बाद चुने हुए आजिमीन की लिस्ट मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर बताई जाएगी, साथ ही आरजी तौर पर चुने हुए आजमीने कराम को उनके चुने जाने की खबर दी जाएगी।

12. कुर्रा-अंदाजी के उसूल:

A) प्राथमिकता (Order of Priority): हर प्रदेश/यूनियन टेरिटरी में दरख्वास्त देने वालों के चुनाव का प्राथमिकता का क्रम नीचे दिया गया है:

1) रिजर्व्ड कॅटेगिरी-A (70 + बरस या उस से ज्यादा उम्र वाले दरख्वास्त गुजार एक साथी के साथ)

2) रिजर्व्ड कॅटेगिरी-B (लगातार चौथी बार के दरख्वास्त गुजार)

3) जनरल कॅटेगिरी

B)

i) रिजर्व्ड कॅटेगिरी-A के तहत आने वाली दरख्वास्तें मुताय्यना को से ज्यादा होने पर इस कॅटेगिरी के दरख्वास्त गुजारों के दरमियान कुर्रा-अंदाजी के जरिए आजमीन का आरजी तौ पर चुनाव किया जाएगा। कुर्रा-अंदाजी के जरिए आए हुए क्रम में ही इस कॅटेगिरी में बचे हुए दरख्वास्त गुजारों को रिजर्व्ड वेट लिस्ट RWL-A में रखा जाएगा। उसके बाद रिजर्व्ड कॅटेगिरी-B के दरख्वास्त गुजारों के दरमियान कुर्रा-अंदाजी की जाएगी और उन्हें रिजर्व्ड वेट लिस्ट RWL-B के तहत कुर्रा-अंदाजी में आई हुई तरतीब से रखा जाएगा। इसी तरह जनरल कटेगिरी के दरख्वास्त गुजारों वे दरमियान कुर्रा-अंदाजी की जाएगी। उन्हें कुर्रा-अंदाजी के जरिए आई हुई तरतीब से जनरल वेट लिस्ट GWL में रखा जाएगा।

ii) रिजर्व्ड कॅटेगिरी-A के तहत दरख्वास्त गुजारों की तादाद अगर कोटे से कम होती है तो ऐसे तमाम दरख्वास्त गुजारों को आरजी तौर पर चुन लिया जाएगा। उसके बाद पिछले वर्ष की रिजर्व वेट लिस्ट RWL के वो दरख्वास्त गुजार पहले चुने जाएंगे जो पिछले साल रह गए थे। ऐसे हज यात्रियों को इस वर्ष भी आवेदन देना होगा। अगर रिजर्व्ड कॅटेगिरी-B के दरख्वास्त गुजारों की तादाद बची हुई सीटों से ज्यादा होती है, तो इस कॅटेगिरी वे दरख्वास्त गुजारों में से कुर्रा-अंदाजी के जरिए आजिमीने कराम को चुन लिया जाएगा। इस कॅटेगिरी में बची हुई दरख्वास्तों को रिजर्व्ड वेट लिस्ट RWL में कुर्रा- अंदाजी के जरिए आई हुई तरतीब में रखा जाएगा। फिर जनरल कॅटेगिरी के दरख्वास्त गुजारों के दरमियान कुर्रा-अंदाजी की जाएगी और ऐसे दरख्वास्त गुजारों को कुर्रा-अंदाजी के जरिए आने वाली तरतीब में जनरल वेट लिस्ट GWL में रखा जाएगा।

iii) अगर दोनों रिजर्व्ड कॅटेगिरी के तहत आने वाली दरख्वास्तों की तादाद कोटे से कम है तो ऐसी सूरत में रिजर्व्ड कॅटेगिरी के तमाम आजमीने कराम को आरजी तौर पर चुन लिया जाएगा। फिर बची हुई सीटों के लिए जनरल कॅटेगिरी के दरख्वास्त गुजारों के दरमियान आजमीने कराम को चुनाव करने के लिए कुर्रा-अंदाजी की जाएगी। जनरल कॅटेगिरी के बचे हुए दरख्वास्त गुजारों को कुर्रा-अंदाजी के जरिए आई तरतीब में जनरल वेट लिस्ट GWL में रखा जाएगा।

iv) अगर रिजर्व्ड कॅटेगिरी के आजमीन की तादाद उस प्रदेश के कोटे के बराबर है तो ऐसे तमाम दरख्वास्त गुजारों को आरजी तौर पर चुनाव कर लिया जाएगा। फिर जनरल कॅटेगिरी के दरख्वास्त गुजारों के लिए कुर्रा-अंदाजी की जाएगी और जनरल वेट लिस्ट GWL में कुर्रा-अंदाजी के तहत मिलने वाली तरतीब में रखा जाएगा।

13. वेट लिस्ट से चुनाव:

i) आजिमीन के जरिए अपनी सीट रद्द करने या किसी और वजह से सीटों के उपलब्ध होने की सूरत में मुताल्लिका प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरी हज कमेटियों की वेट लिस्ट के दरख्वास्त गुजारों में से बिलकुल तरतीबवार आरजी तौर पर चुनाव किया जाएगा। ऐसे प्रदेश जहां तीन वेट लिस्ट होंगी वहां पहले RWL-A के दरख्वास्त गुजारों का चुनाव सीरियल क्रम से होगा उसके बाद RWL-B के दरख्वास्त गुजारों का चुनाव होगा, उसके बाद GWL के दरख्वास्त गुजारों का चुनाव होगा। इसी तरह अगर दो वेट लिस्टें हैं तो पहले RWL के दरख्वास्त गुजारों का चुनाव सीरियल क्रम में होगा उसके बाद जनरल वेट लिस्ट GWL का चुनाव होगा। वेट लिस्ट के चुनाव में किसी किस्म की बे-तरतीबी नहीं की जाएगी।

ii) आरजी चुनाव सिर्फ मुकम्मल कवर का किया जाएगा और किसी भी सूरत में कवर को तोड़ा नही जाएगा।

iii) हज कमेटी ऑफ इंडिया तमाम रद्द की हुई सीटों के एवज चुने हुए आजमीन की तफसील रियासती हज कमेटियों को बताएगी, जो कि चुने हुए दरख्वास्त गुजारों को तफसील मुहैय्या करेगी।

14. रक़म की अदाएगी और कन्फर्मेशन:

A) बैंक रिफरेंस नंबर:

तमाम आरजी तौर पर चुने हुए आजमीने कराम वो एक बैंक रिफरेंस नंबर दिया जाएगा, यह नंबर प्रदेशीय हज कमेटियां आरजी चुनावी पत्र में दर्ज करके भेजेंगी। पेशगी और बकीया हज की रकम की अदाएगी के लिए रिफरेंस नंबर पे-इन-स्लीप में मौजूद कॉलम में जरूर दर्ज करें।

B) हज की रकम की अदायगी :

रकम की अदायगी तीन तरीके से हो सकती है :-

i) ऑनलाईन से **hajcommittee.gov.in** पर ; या

ii) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखामे हज कमिटी ऑफ इंडिया के खाता संख्या -**32175020010** मे ; या

iii) युनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसा भी शाखामे हज कमिटी ऑफ इंडिया के खाता संख्या - **318702010406009** मे ।

बैंक के शाख़ाओं में रक़्कम जमा कर ने के लिए फार्म मे मुन्सलिक हरे रंग की पे-इन-स्लिप (pay-in-slip) इस्तेमाल करें। बैंक ड्राफ्ट / चेक / नक़द हज कमेटी ऑफ इंडिया को कबूल नई होगी।

C) पेशगी हज रकम :
आरजी तौर पर चुने गए आजमीने कराम को पेशगी हज की रकम और दूसरे खर्चों के 81,000/- (एक्क्यासी हजार रुपए) अदा करने होंगे। (पेशगी हज की रक्कम 80,000 के साथ दीगर अख़राजात 1000 रुपये) जमा करने होगें । 1000 रुपये खर्चों की तफसील i) 150 रुपये प्रदेशीय हज कमेटी का हेंडलिंग मोआवेजा ii) 200 रुपये इमबारकेशन पाइंट पर सहायक इंतेजामात करनेवाली रियासती हज कमेटीयों को मोआवेजा iii) 150 रुपये प्रदेशीय हज हाऊसों के लिए अतीया और iv) 500 रुपये दफ्तर/दस्तावेजात के लिए जिसमे से सौ रुपये हज तरबियती प्रोग्रॉम करने के लिए रियासती हज कमेटीयों को दिये जाते हैं।

D) कन्फर्मेशन:
आरजी तौर पर चुने आजिमीने कराम के लिए ल जिमी है कि 81000/-(एक्क्यासी हजार रुपए) जमा करने के बाद **15 अप्रेल 2016** तक पे-इन-स्लीप की एक कॉपी मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ (मुन्सलिक प्रफ़ोर्मा में) अपनी मुताल्लिवा प्रदेशीयहज कमेटी में जमा करा दें। हज के दरख्वास्त फार्म के साथ पे-इन-स्लीप मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरी जरूरी दस्तावेजात मुताल्लिका प्रदेशीय हज कमेटी की जानिब से जरूरी जांच पड़ताल के बाद अपलोड करने पर हज कमेटी ऑफ इंडिया आजिम का अंतिम कन्फर्मेशन करेगी। यह ग्रूप एक और ग्रूप दो, दोनों तरह के दरख्वास्त गुजारों पर लागू है। अगर पे-इन-स्लिप/मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ जमा नही किया गया तो सीटें रद्द की जा सकती हैं।

E) हज की बकीया रकम:

i) हज कमेटी ऑफ इंडिया हर हाजी को मरकजे रवानगी पर सऊदी रियाल 2100/- तकसीम करती है। सऊदी रियाल 2100/- के एक्सचेंज रेट को तय करने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया टेंडर निकालती है। इसके अलावा सऊदी अरबिया में आजमीने हज को रिहाइश, कुरबानी (अज़्हा कुपन) बसों और दूसरे जरूरी खर्चों के सिलसिले में भी हज कमेटी ऑफ इंडिया रकम की अदाएगी सऊदी रियाल में करती है। सऊदी रियाल की शक्ल में होने वाले खर्चे मसलन हर हाजी का रिहाइशी किराया, हवाई जहाज का किराया, टैक्सों वगैरा पर होने वाले खर्च वा ताय्युन, एक्सचेंज रेट पर निर्भर है और इसकी अदाएगी आजिम को करनी होती है। इस बारे में अखबारात, हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और मुताल्लिका प्रदेशीय हज कमेटी के जरिए ऐलान किया जाता है। बकीया हज की रकम (कुल रकम में से पेशगी हज की रकम निकाल कर) की अदाएगी आखरी तारीख तक करना जरुरी है । मुर्क़रर तारीख तक रकम अदा न करने पर सीट रद्द कर दी जाएगी । तारीख का एलान बाद में किया जायेगा ।

ii) एक्सचेंज रेट के कम या ज्यादा होने पर अगर खर्चे की रकम ज्यादा होगी तो ज्यादा रकम हर आजिमे हज से या तो रवानगी के वक्त सऊदी रियाल 2100/- में से ले ली जाएगी या इस बारे मे हज कमेटी ऑफ इंडिया अलैहदा ऐलान करेगी जिस के तहत आजमीने कराम को ज्यादा रकम अदा करनी होगी। (हज 2015 मे ग्रीन दर्जे का कुल खर्च लगभग रु. 2,13,000/- और अजीजीय दर्जे का कुल खर्च तक तकरिबन रु.1,80,000/- था)।

iii) हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आजमीने कराम के पूरे सफरे हज को मरकजे रवानगी पर बुकिंग के साथ कंप्यूटराईज्ड किया हुआ है। हर आजिमे हज की जानिब से अदा की गई रकम की तफसील इस सिस्टम पर बाजह की जाती है। किसी भी आजिमे हज की सीट हवाई जहाज में उस वक्त तक कन्फर्म नहीं होगी जब तक कि उस आजिम की जानिब से रकम की अदाएगी दी गई तारीख तक न की गई हो और सिस्टम पर नजर न आ रही हो।

F) रकम की मुकम्मल अदाएगी सीट के कन्फर्म होने की जमानत नहीं है:

दरख्वास्त देने वालों इस बात वा यकीन कर लें कि हज दरख्वास्त फार्म की तफसीलात/दस्तावेजात को हिदायात बराए हज के मुताबिक सही और सच्ची मालूमात फराहम करते हुए मुकम्मल तौर पर भरा गया है। अगर कोई दरख्वास्त गुजार अपने दरख्वास्त फार्म में गलत बयानी/ना-मुकम्मल मालूमात/झूठी और गलत या ना-मुकम्मल दस्तावेजात की बिना पर आरजी चुनाव/कन्फर्मेशन की हैसियत हासिल कर लेता है और पेशगी/बकीया हज रकम भी जमा करा देता है, तो पता लगने पर उसका हज किसी भी स्टेज पर रद्द किया जा सकता है। यहां तक कि मरकजे रवानगी पर भी। इसलिए मुकम्मल रकम की अदाएगी हज पर जाने की जमानत नहीं है।

15. मनसूखी (Cancellation):

i) अगर कोई चुना हुआ दरख्वास्त गुजार अपना सफरे हज किसी भी वजह से मनसूख/रद्द करना चाहता है तो उसे चाहिए कि एक मनसूखी का तयशुदा खत जिसमें तफसीली तौर पर मनसूखी की वजह दर्ज हो, अपनी मुताल्लिका प्रदेशीय हज कमेटी में जमा कराए।

ii) प्रदेशीय हज कमेटी के जरिए से मनसूखी की इत्तेला मिलते ही, हज कमेटी ऑफ इंडिया मनसूखी का फैसला लेगी। और मनसूखी को आई.एच.पी.एम.एस. के सॉफ्टवेयर में निशान जद किया जाएगा।

iii) एक बार दरख्वास्त के मनसूख करने के बाद उसे किसी भी तौर पर वापस नहीं लिया जाएगा।

iv) अगर कोई दरख्वास्त गुजार पासपोर्ट या रक़म या दोनों मुताय्यना तारीख तक जमा करने में नाकाम रहेगा तो उसकी दरख्वास्त रद्द कर दी जाएगी।

v) दरख्वास्त की मनसूखी की सूरत में रक़म की वापसी हिदायत के पैराग्राफ 26 के तहत की जाएगी।

16. रिहाइश (Accomodation) :

16.1. महफूज रिहाइश स्कीम:

सऊदी कानून के मुताबिक हुज्जाजे कराम वे लिए रिहाइश का इंतेजाम सऊदी अरबिया में उनके आने से पहले कौंस्लेट जनरल ऑफ इंडिया, जद्दा के जरिए करना लाजिमी है रिहाइश की जगह हर हाजी के लिए 4 स्क्वायर मीटर है। मक्का मुकर्रमा में दो कॅटेगिरी पर आधारित रिहाइशी इंतेजामात किए जाएंगे। आजिमीन से गुजारिश है कि वह दरख्वास्त फार्म में मुताल्लिका कॉलम में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक रिहाइशी कॅटेगिरी का चुनाव करें। रिहाइशी कॅटेगिरी का चुनाव कतई आखिरी और नाकाबिले तब्दील होगा। रिहाइश कॅटेगिरी का खुलासा नीचे दिया गया है :-

रिहाइशी तफसीलात	ग्रीन *	अजीजिया
A) मक्का मुकर्रमा में रिहाइश		
B) हरम शरीफ के बाहरी हुदूद से दूरी	1500 मीटर तक	अजीजिया इलाके में
(ii) एक हाजी का किराया	4500 सऊदी रियाल	2630 सऊदी रियाल (ट्रांस्पोर्टेशन के साथ)
(iii) इमारतों की सहूलतें	एक जैसी	
A) मदीना मुनव्वरा में रिहाइश का किराया	एक जैसी (500 सऊदी रियाल)	
B) मीना, अरफात और मुजदलफा में सहूलतें	एक जैसी	

★ यह याद रहे कि ग्रीन कॅटेगिरी के लिए:

i) दूरी हरम शरीफ की बाहरी हुदूद से दी गई है न कि खाना-ए-काबा से।

ii) ग्रीन कॅटेगिरी में ट्रांस्पोर्टेशन की सहूलियत नहीं है।

iii) ग्रीन कॅटेगिरी की इमारतों में कोई अतिरिक्त इजाफी सहूलियात नहीं हैं।

iv) मदीना मुनव्वरा और अय्यामे हज में मीना/अरफात/ मुजदलफा में कयाम के दौरान कोई तरजीही सहूलियात नहीं।

16.2. ऊपर दिए गए दोनों दर्जों में से रिहाइशी इकाईयां न मिलने पर इन कॅटेगिरी में रिहाइश का चुनाव करने वाले हुज्जाजे कराम को किसी और वॅकॅटेगिरी में रिहाइशी इकाईयां दी जा सकती हैं।

16.3. रिहाइश के लिए कुर्रा:

अगर किसी भी वजह से ज्यादा दरखास्तें मिलने की सूरत में किसी कॅटेगरी मे आजमीन की रिहाईश का इन्तेखाब के मुताबिक इन्तेजाम नही हो पाया तो कुर्रा-अंदाजी के जरिए अलाटमेंट किया जाएगा बकीया आजमीन करााम को दूसरे हासिल होने वाले दर्जे में रिहाइश दी जाएंगी। रिहाइशी किराया फराहम की गई रिहाइशी इकाई के मुताबिक ही लिया जाएगा।

16.4. रिहाइशी सहूलियात:

मक्का मोअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में किराए पर लिए गए रिहाइशी मकानात में ऐसी सहूलियात मुहैय्या होती हैं जो हुकूमते सऊदी अरबिया के कानून के मुताबिक होती है। सऊदी कानून के मुताबिक हर आजिमे हज सिर्फ 4 स्क्वायर मीटर की जगह का हकदार है और हर हाजी को एक गद्दा और एक तकिया मुहैय्या किया जाएगा। कमरे एयरकंडीशंड होते हैं। हर बिल्डिंग में सऊदी हुक्काम की जानिब से सऊदी कानून के तहत ज़मज़म मुहैय्या कराया जाता है। जगह की सफाई और इंतेजामात के लिए बिल्डिंग मालिक का अमला जिम्मेदार है। हर बिल्डिंग में गैस कनेक्शन भी फराहम किया जाएगा। अलबत्ता गैस खत्म हो जाने पर उसे दुबारा भरवाने की जिम्मेदारी आजमीने कराम की होगी। मक्का मुकर्रमा के दोनों रिहाइशी कॅटेगिरी और मदीना मुनव्वरा में भी आजिमीने कराम को रूम, किचन, तहारत खाना व गुस्ल खाना दूसरे हुज्जाजे कराम के साथ मिलकर इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर कमरे की साइज मुख्तलिफ होती है, जिस में 1 से 20 हुज्जाजे कराम ठहराए जा सकते हैं। 12 हुज्जाजे कराम से ज्यादा एक तहारत खाना इस्तेमाल नहीं करेंगे और 30 हुज्जाजे कराम से ज्यादा लोग एक किचन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह याद रहे कि मदीना मुनव्वरा की इमारतों में किचन नहीं है।

हुकूमते सऊदी अरबिया के कानून के तहत चार से ज्यादा मंजिलों वाली इमारतों में लिफ्ट की सहूल्त मुहैय्या की जाती है। हालांकि फैसला किया गया है कि सिर्फ लिफ्ट लगी हुई इमारतें ही किराए पर ली जाएं, इसके बावजूद चंद आजमीने हज को दूसरी, तीसरी या चौथी मंजिलों पर ठहरना पड़ सकता है, जहां लिफ्ट की सहूलियत दस्तयाब नहीं होगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया, कौंस्लेट जनरल ऑफ इंडिया, जद्दा से दरख्वास्त करेगी कि उम्र रसीदा आजमीन को तरजीहन पहली या दूसरी मंजिल में ही जगह दी जाए।

16.5. महफुज रिहाइश स्कीम से मुस्तस्ना कॅटेगिरी:

से जारी किए गए अलॉटमेंट लेटर को हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के दफ्तर में किसी भी हिंदुस्तानी रुबात में कयाम करने के ख्वाहिशमंद आजिमीने हज के लिए लाजिम है कि वह मुताल्लिका रुबात कि जानिब **15 जुलाई 2016** या उस से पहले जमा करा दें। इस तारीख के बाद मिलने वाले अलॉटमेंट लेटर कुबूल नहीं किए जाएंगे और ऐसे हुज्जाजे कराम को महफुज रिहाइशी स्कीम के तहत दर्ज किया जाएगा जिसके लिए उन्हें रिहाइश की रकम जमा करानी होगी। याद रहे कि कौंस्लेट जन्रल हिंद, जद्दा के जरिए दी गई मालूमात के मुताबिक हज कमेटी ऑफ इंडिया रुबात हुक्काम के लिए सिर्फ उतना ही अलॉटमेंट लेटर जारी करेगी जितनी रुबात की मंजूर शुदा मकानियत होगी। रुबात हुक्काम की जानिब से किसी भी किस्म की ताखीर होने पर हज कमेटी ऑफ इंडिया जिम्मेदार नहीं होगी और आजिमे हज को महफुज रिहाइश स्कीम के तहत दर्ज कर लिया जाएगा।

16.6. मीना में रिहाइश:

मीना महदूद (लिमिटेड) जगह वाली एक घाटी है, जहां हुज्जाजे कराम को बड़े खैमों में दूसरे हाजियों के साथ ठहरना होता है। मीना में हुज्जाजे कराम को 5 से 6 दिन ठहरना होता है। यहां पर हर एक तवाफा एस्टॅब्लीशमेंट (मोअल्लिम) तकरीबन 5000 (पांच हजार) हुज्जाजे कराम को अपने खैमों में ठहराते हैं। जगह की तंगी की वजह से हुज्जाजे कराम से दरख्वास्त की जाती है कि मीना रवानगी के वक्त अपने वही सामान लें, जिसकी बेहद जरूरत हो। मिना में हर आजिमे हज को एक कंबल मुहैय्या कराया जाएगा, जिसे हाजी अपने साथ ले जा सकता है।

16.7. कुर्बानी (अज़्हा): सौदी हुकुमत ने सिर्फ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक (IDB) को ही आजमिन कुरबानी करने का इखतियार दिया है। आजमीने कराम कुरबानी के नाम पर किसी के बहकावे में न आयें । इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक (IDB) के कुरबानी कुपन हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए उन हुज्जाजे कराम को मोहय्या कराए जाऐंगे जिन्होने हज फॉर्म मे इस खाहिश का चयन किया हो ।

17. मेडीकल जांच, टीका और तरबियत :

सऊदी कानुन के मुताबित हर एक आजिमे हज के लिए जाब्ता-ए-सेहत के तहत मेडिकल जांच कराना लाजिमी है। यह यकीनी बनाने के लिए कि सेहतमंद अफराद ही हज के लिए रवाना हों, मेडीकल जांच दो स्टेप में की जाएगी :

17.1. पहला स्टेप : हेल्थ सर्टिफिकेट :

पहला इकदाम इतखाब के वक्त का है । मुंतखब आजिमे हज को अपनी मेडिकल हिस्ट्री मखसुस खाका में भरकर किसी रजिस्टर डॉक्टर, एम.बी.बी.एस./ सरकारी डॉक्टर से अपनी जाच करवाकर मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट हासील करे। आजमिन पेशगी रकम की पे-इन-स्लिप के साथ सर्टिफिकेट को प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरी हज कमेटी मे जमा करे ।

17.2. दूसरा स्टेप : सेहत व तरबियत (HAT) बुकलेट :

हर आजिमे हज को एक सेहत व तरबियत बुकलेट जारी की जायेगी । बुकलेट में आजिमेने हज की मेडिकल हिस्ट्री, टीका, नुसखे और ट्रेनिंग सेशन के बारे में मालुमात दर्ज कि जायेगी । मुंतखब आजिमे हज के लाजीम है की किसी रजिस्टर डॉक्टर, एम.बी.बी.एस./ सरकारी डॉक्टर से अपनी जाच करवाकर मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट हासील करे और सहेत व तरबियती (HAT) बुकलेट में पुरी तफसील दर्ज करे । सहेत व तरबियती (HAT) बुकलेट जिस पर आजमिने हज की सेहत की तफसीलात दर्ज हो, को फौरी तिब्बी जरूरत के लिए इस्तेमाल कीया जायेगा । खास तौर से तशवीषनाक हालात में । ये बात आजिमेने हज के मफाद मे होगी की, आजिमेने हज (HAT) बुकलेट अपने साथ जरूर ब जरूर रखें ।

17.3. टीके (Vaccination) :

17.3.1. दिमागी बुखार का टीका/क्वाडरोपिल एनाक्यूलेशन (ACYW-135):

तमाम चुने गए आजमिने हज (दो साल से ज्यादा उम्र वाले) के लिए लाजिम है कि मरकज रवानगी से पहले दिमागी बुखार के टीके व सेहत से मुताल्लिक सर्टिफिकट जो सेहत व तरबियत (HAT) बुकलेट पर हो, अपने साथ जरूर रखें और उस मेडिकल सर्टिफिकट का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से तस्दीक व कराना जरूरी है। ना-मुकम्मल और गैर तस्दीक शुदा सर्टिफिकट काबिले कुबूल नहीं होंगे। इस ताल्लुक से हज कमेटी ऑफ इंडिया हर साल हज हाऊस, मुंबई में मेडिकल जांच और उसके बाद दिमागी बुखार के टीके लगवाने के लिए जरूरी अकदामात करती है और हर आजमिने हज को सर्टिफिकट जारी करती है। इसी तरह पूरे मुल्क में प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरीज हज कमेटियाँ और जिला इंतेजामिया भी अपने मुताल्लिका प्रदेश के आजमिने हज के लिए दिमागी बुखार के टीके लगवाने के जरूरी अकदामात करते हैं।

17.3.2. पोलिओ की खुराक का सर्टिफिकट :

तमाम आजमिने हज को सफर पर रवानगी से 6 हफ्ते पहले पोलिओ की खुराक लेना लाजिमी है, साथ ही मुताल्लिका हिफ्जाने सेहत के महकमे से पोलिओ का सर्टिफिकट सेहत व तरबियत (HAT) बुकलेट पर हासिल करें। सऊदी अरब पहुंचने पर उन्हें पोलिओ की दूसरी खुराक भी दी जाएगी।

17.3.3. विजा हासिल करने के लिए जरूरी है की आजमिने हज टीके लिऐ होना का सर्टिफिकेट पासपोर्ट के साथ रॉयल कौन्सलेट जनरल ऑफ सौदी अरेबिया मे जमा कीया जाए, ऐसा न होने पर हज विजा नही लगेगा ।

17.4. तरबियत व मालूमात :

यह लाजमी है कि हर चुने जाने वाले आजिमे हज तरबियत कैंप से तरबियत हासिल करे और वहां दी गई हिदायात पर अमल करे। तरबियत हासिल करने की पूरी तफसील हेल्थ और ट्रेनिंग कार्ड में दी गई मख्सूस जगह पर दर्ज करें।

18. मरकजे रवानगी:

हज कमेटी ऑफ इंडिया तमाम आजमिने कराम के रिहाइशी पते के मुताबिक ही उनके मरकजे रवानगी तय करेगी जो कि हज दरख्वास्त फार्म में दर्ज हैं, ना कि पासपोर्ट में मौजूद पते के मुताबिक। आजमिने कराम के लिए लाजिम है कि वह अपने हालिया पते की मुनासिबत से बनने वाले नीचे दिए रवानगी के मरकजों से ही सफर के लिए रवाना होंगे। सफर-ए-हज से वापसी भी उसी इमबारकेशन पॉईट पर होगी जहाँ से सफर शुरू किया था । रवानगी के मरकज में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। किन्तु आकस्मिक कारणो की वजह से किसी दुसरे इमबारकेशन पॉइंट से भेजने के जुमला हुकूक हज कमेटी ऑफ इंडिया महफ़ुज रखती है।

1	नई दिल्ली	दिल्ली, पंजाब, हरयाना, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश [मगरिबी जिले जैसे आगरा, अलीगढ़, बागपत, भीमनगर(संभल), बिजनोर, बुलंद शहर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, ज्योतिबाफुले नगर, महामाया नगर (हथरस), मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पंचशील नगर (हापोड़), प्रबुद्ध नगर (केराना, शामली), रामपुर और सहारनपुर]
2	लखनऊ	उत्तर प्रदेश [वस्ती जिले जैसे अंबेडकर नगर, औरिया, बदायूं, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, सी.एस.एम. नगर (अमेठी), चित्रा कोट, ईटा, अटावा, फैजाबाद, फर्खाबाद, फतहपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालून, झांसी, कुनूज, कानपुर, कासगंज, लखीमपूर खेरी, ललितपूर, लखनऊ, महोबा, मेनपूरी, पिलीभीत, परताबघर, रायबरेली, रमाबाई नगर (कानपूर देहात), संतकबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर और उन्नाव]
3	श्रीनगर	जम्मू व कश्मीर
4	जयपुर	राजस्थान
5	वाराणसी	उत्तर प्रदेश [मशरिकी जिले जैसे एलाहाबाद, आजमगढ़, बलिया, चंदोली, दिवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, कोशंबी, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, सवन भद्रा, वाराणसी]
6	चेन्नई	तामिल नाडु, पुडूचेरी, अंडोमान व निकोबार
7	बैंगालुरु	कर्नाटक (बागल कोट, बैंगालुरु शहर (Rural), बैंगालुरु (Urban), बल्लारी, विजयापुरा, चमराज नगर, चिकबल्लापुर, चित्रादुर्गा, दावनगेरे, धारवाड़, गदग, हावेरी, कोलार, कोप्पल, मंडिया, मैसुरु, रामानगरम्, शिवामोग्गा और टुमकुरु) और अनंतपुर और चित्तौड़ आंध्र प्रदेश के जिले
8	मैंग्लोर	मैंग्लोर (डी,के) चिकमगलुरु, हासन, कोडागु और उडुपी, कर्नाटक प्रदेश के जिले
9	कालीकट	केरला, लक्षद्वीप और माहे (पुडूचेर्री)
10	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (आदिलाबाद, कुड्डपह, मशरिकी गोदावरी, गंटूर, हैदराबाद, कड़प्पा, करीमनगर, खमम, कृष्ण, करनुल, महबूब नगर, मेडक, नालगोंडा, नेल्लूर, निज माबाद, पाटनचेरू, परकासम, रंगारेड्डी, सागारड्डी, सिकंदराबाद, श्रीकाकुलम, विशाखापटनम, विजिया नगरम वारंगल, मगरिबी गोदावरी) और बिदर, कलाबुर्गी, राईचुर, और यादगीर कर्नाटक प्रदेश के जिले
11	कोलकाता	मगरिबी बंगाल, ओड़ीसा और त्रिपुरा
12	गोहाटी	आसाम, मेघालय, मनीपुर, अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम
13	गया	बिहार
14	रांची	झारखंड
15	मुंबई	महाराष्ट्र (धुलिया, जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नंदोबार, नासिक, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, शोलापुर और ठाणे) दमन एण्ड दीव और दादरा व नगर हवेली
16	नागपुर	छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र (अकोला, अम्रावती, भंडारा, बुलडाना, चंदरपुर, गुड़चरोली, गोदिया, नागपुर, वर्धा, वाशिम और एवतमल विदर्भ इलाके के जिले) और मध्य प्रदेश (बाला घाट, चंडूवारा, मंडला और सेवनी जिले)
17	औरंगाबाद	महाराष्ट्र (औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नानदेड़, उस्मानाबाद, परभनी और अहमदनगर जिले)
18	अहमदाबाद	गुजरात
19	इंदौर	मध्य प्रदेश (अली राजपुर, बदवानी, बुरहानपुर, देवास, धार, इंदौर, झब्वा, खंडवा, खरगून, मंडसूर, नेमूच, रतलाम और उज्जैन जिले)
20	भोपाल	मध्य प्रदेश (अन्नू पुरा, अशोकनगर, बैतूल, भिंड, भोपाल, छत्रपुर, दाम्वह, दात्या, दिंडवरी, गुना, ग्वालियार, हर्डा, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, मोरीना, नरसिंगपुर, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रीवा, सागर, सतना, सैहूर, शहडोल, शाजापुर, शिवपुर कलन, शिवपुरी, सिद्धी, संग्रोली, टेकमगढ़, उमरिया और विदाशा जिले)
21	गोवा	गोवा और शुमाली कन्नडा और बेलागावी कर्नाटक प्रदेश के जिले

19. हवाई जहाज:

19.1. उड़ान का ताय्युन (Flight Allotment):

a) मुकर्ररा उड़ान की इत्तेला आजमीने हज को इंशा-अल्लाह पंद्रह (15) रोज पहले (SMS) के जरिए की जाएगी और रवानगी इत्तेलाती कार्ड (Departure Intimation Card) भी डाक के जरिए भेज दिया जाएगा। यह मालूमात हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट **hajcommittee.gov.in** पर भी दस्तयाब होगी। आजमीने हज को मुत्तेला किया जाता है कि वह अपनी मुताय्यना हवाई उड़ान से ही सफर करें। किसी भी सूरत में मुकर्ररा हवाई उड़ान की तारीख में तब्दीली नहीं की जाएगी।

b) हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई किसी भी सीट या हवाई उड़ान को, हालात के मद्देनजर कैंसल या तब्दील करने की मजाज है। रवानगी इत्तेलाती कार्ड (Departure Intimation Card) में दी गई रवानगी की तारीख अंतरिम (tentative) है और हवाई जहाज में सीट की कन्फर्मेशन हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऑफिस या मरकज रवानगी के हज कैंप ऑफिस में रिपोर्ट करने के बाद सीट दस्तयाब होने की सूरत में ही की जाएगी। आजिमीन से गुजारिश है कि वह हवाई उड़ान की तारीख के सिलसिले में बुकिंग के वक्त गैर जरूरी बहस न करें।

c) आजमीने हज और उनके रिश्तेदारों से दरख्वास्त है कि वह हज कमेटी ऑफ इंडिया, प्रदेशीय/यूनियन टेरिटरीज हज कमेटियों में काम करने वालों से अच्छा बरताव करें और अपना भरपूर ताऊन पेश करें। आजमीने हज या उनके रिश्तेदार के जरिए हज कैंप ऑफिस पर तैनात हज कमेटी ऑफ इंडिया/प्रदेशीय हज कमेटी में काम करने वालों से खराब बरताव करने से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सफरे हज रद्द भी हो सकता है।

d) मुकर्ररा हवाई उड़ान के मोअख्खर होने या मन्सूख होने की सूरत में कानून व कायदे के मुताबिक खाना/नाश्ता/ट्रांजिट रिहाइश व दीगर सहूलतें हवाई कंपनियां, कानून और कायदे के मुताबिक फराहम करती हैं।

e) आजमीने कराम जिनकी उड़ान कन्फर्म हो गई हो मगर वह अपनी मुकर्ररा उड़ान के लिए मरकज रवानगी पर वक्त पर रिपोर्ट न कर सके हों, उन्हें बाद की फ्लाईट में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिवाए ना-गुजेर वजूहात की बिना पर। वह भी उस वक्त जबकि सीट दस्तयाब हो और एक तरफा किराया ज्यादा अदा किया जाए।

f) चार्टर टिकट नाकाबिले ट्रांसफर हैं। तमाम आजमीने कराम को दो तरफा जाने-आने की मुकर्ररा तारीखों के टिकट मख्सूस उड़ानों के लिए जारी किए जाते हैं। लिहाजा वापसी सफर में किसी तरह की तब्दीली, ट्रांसफर या सीट की मंसूखी की इजाजत नहीं होगी।

19.2. उड़ानों का आगाज (Commencement of Flight) :

मदीना मुनव्वरा/जद्दा के लिए उड़ानों की रवानगी का सिलसिला **04 अगस्त 2016** से शुरू और **05 सितंबर 2016** को मुकम्मल होने के इम्कानात हैं।

19.3. वापसी की उड़ानें :

19.3.1 वापसी की उड़ानें **15 सितंबर 2016** से शुरू होकर **15 अक्टुबर 2016** तक जारी रहेंगी। आजमीने कराम को वापसी का बोर्डिंग पास मरकज रवानगी पर ही दे दिया जाता है। हुज्जाजे कराम की जद्दा/मदीना मुनव्वरा से वापसी उसी तरतीब से ही होगी जिस तरतीब से वह मदीना/जद्दा पहुंचेंगे। इस लिए आजमीन से गुजारिश है कि वह टिकट पर दर्ज अपनी वापसी की तारीख को नोट कर लें। और वापसी टिकट पर दर्ज शुदा तारीख को वक्त से कम से कम आठ घंटे पहले जद्दा/मदीना मुनव्वरा एअरपोर्ट पर हाजिर हो जाएं ताकि मुकर्ररा फ्लाईट से सफर कर सकें।

19.3.2 हालांकि बोर्डिंग पास पर दी गई वापसी की तारीख हत्तमी (Final) है। आजिमीने हज के फायदे में यह बात होगी कि इंडियन हज मिशन मक्का मुकर्रमा/मदीना मुनव्वरा से रवान्गी की तारीख की मजीद तस्दीक करवा लें। अगर हुज्जाज कराम जद्दा/मदीना एयरपोर्ट पर हाजिर न होने के सबब अपनी मुवर्ररा फ्लाईट से सफर नहीं करते तो वह किराए की रकम की वापसी का मताल्बा करने के कतई मजाज न होंगे। ऐसे हुज्जाजे कराम वो वापसी के लिए अपनी जिम्मेदारी व खर्च पर खुद इंतेजाम करना होगा।

19.3.3 सिटी चेक-इन (City Check-In):

वापसी सफर के लिए एयरलाईंस सिटी चेक-इन की खिदमात मुहैय्या कराएंगी। आजमीने हज का सामान उनकी रिहाइश बिल्डिंगों (मक्का मुकर्रमा व मदीना मुनव्वरा में) से वापसी की फ्लाईट से 24 से 30 घंटे पहले जमा किया जाएगा।

नोट : हज कमेटी ऑफ इंडिया सफरे हज के इंतेजामात सिविल एविएशन मंत्रालय के जरिए से ब-हैसियत चार्टरर (Charterer) करती है। लिहाजा किसी मुताल्लिका इंतेजामिया की लापरवाही की वजह से किसी नुक्सान का जिम्मेदारी हज कमेटी ऑफ इंडिया पर आएद नहीं होगी, जबकि कोई नुक्सान, गुम हो जाने, जख्मी, हादसा या किसी और वजह से फ्लाईटं लेट हो जाए तो मुताल्लिवा इंतेजामिया की लापरवाही समझी जाएगी। यह बात जहन-नशीन करनी चाहिए कि किसी वजह से फ्लाईट कैंसल या रद्द होने, खराब मौसम की हालात, हड़ताल, सियासी व समाजी इंतेशार, जंग, नैसर्गिक आपदा की वजह से ताखीर व तब्दीली की सूरत में किसी भी नुक्सान या इजाफी खर्चे की जिम्मेदार हज कमेटी ऑफ इंडिया बिलकुल नहीं होगी। ऐसे तमाम नुक्सानात हुज्जाजे कराम खुद बर्दाश्त करेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया जहाज की सीटों के न भरने की वजह से फ्लाईटों को मंसूख या रद्द करने का इख्तियार रखती है।

20. सऊदी अरबिया में ठहरने की मीआद:

आजमीने कराम की सऊदी अरबिया में ठहरने की मीयाद 30 से 40 दिनों की होती है। जो कि एयरलाईंस के जरिए जारी शेड्यूल व सऊदी अरबिया के महकमा शहरी हवाबाजी के जरिए मंजूर शुदा प्रोग्राम पर निर्भर होगा। सऊदी अरबिया में रिहाइशी इंतेजामात कौंस्लेट जनरल ऑफ इंडिया, जद्दा के जरिए हज के पूरे मौसम के लिए किया जाता है। मकानात रोजमर्रा के किराये पर नहीं होते हैं बल्कि पूरे मौसमे हज के ऐतबार से होते हैं। इस लिए सभी आजमीन से रिहाइश के लिए बराबर रकम ली जाती है। इस लिए वहां ठहरने की मीयाद या किसी कमी की वजह से कोई भी हाजी किसी तरह की रकम की वापसी (Refund) का हकदार न होगा।

21. सऊदी अरबिया में इंतेकाल :

21.1. आजमीने हज की सऊदी अरबिया में कयाम के दौरान कुदरती/हादसाती मौत हो जाने पर उसकी तजहीजो तदफीन सऊदी अरबिया के कानून के मुताबिक वहीं पर कर दी जाती है। मौत की सनद (Death Certificate) कौंस्लेट जनरल ऑफ इंडिया, जद्दा बराहे रास्त आजमीन के रिश्तेदार को मौसमे हज के इख्तेताम पर भेज देगा।

21.2. हाजी के रोड एक्सीडेंट में इंतेकाल होने पर उनके इंश्योरेंस की अदाएगी हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए से इंश्योरेंस कंपनी करेगी। साथ ही सऊदी अरबिया की हुकूमत भी रोड एक्सीडेंट में मरने वालों को हरजाना देती है।

22. सामान:

22.1. सामाने सफर का मानकीकरण (Standardization of Baggage) :

आजमीने कराम को चाहिए कि सफरे हज के लिए रवाना होने और आमद के दौरान दो सूट केस और एक हेंड बैग (निम्नलिखीत वजन और साईज) ही इस्तेमाल में लाएं, जिस की तफसील नीचे दी गई है।

तफसील	सामान की तादाद	वजन	हजम (साइज)
चेक-इन किया हुआ सामान	दो सूट केस	हर एक 22 किलोग्राम के वजन तक का हो	(लंबाई + चौड़ाई + ऊंचाई) 158 सेंटिमीटर कुल
हेंड बैग	एक हेंड बैग	10 किलोग्राम वजन तक	55 सेंटिमीटर × 40 सेंटिमीटर × 23 सेंटिमीटर

दिए मेयारी साईज और वजन के सामान के अलाव कोई भी सामान नहीं ले जाना चाहिए और हज कमेटी ऑफ इंडिया ज्यादा सामान की जिम्मेदार नहीं होगी। सामान के जाब्ते पर अमल न करने की सूरत में सफर के किसी भी मरहले में सफरे हज मंसूख हो सकता है, साथ ही जमा की गई रकम भी जब्त होने के इम्कान हैं।

नोट : आजमीने हज से इस्तेदा है कि अपने सामान पर गाढ़े मार्कर पेन (Bold marker pen) से अपना कवर(Cover) नंबर, नाम, पता, फ्लाईट नंबर और मरकजे रवान्गी तहरीर करें ताकि शिनाख्त में सहूलत हो।

22.2. आबे जम-जम:

सऊदी अरबिया से वतन वापसी के वक्त आजमीन कराम अपने साथ जम-जम न लाएं, बल्कि वापसी के सफर में वतन पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर हर एक हाजी को एयरलाईंस के जरिए 5 लीटर जम-जम केन मुहैय्या कराया जाएगा।

23. सामान खो जाने पर दावा करने का तरीका:

आगाजे सफर के वक्त हिंदुस्तान (एयरपोर्ट) और सऊदी अरबिया (एयरपोर्ट) पर सामान (चेक इन बैगेज मुताल्लिका हवाई कंपनियों को चेक-इन काऊंटर पर दें ताकि लगेज टॅग जारी करके आपके सामान पर लगाया जा सके। बैग टॅग जरूर लीजिए। फ्लाईट से उतरने पर अगर कोई सामान न मिले या नुक्सानजदा हो तो नीचे दिए अकदाम पर अमल करें:-

i) आजमीने कराम मुताल्लिका एयरलाईंस के नजदीकी, गुमशुदा बैगेज कांऊन्टर पर राब्ता करें।

ii) गुमशुदा/सामान का लगेज टॅग दिखा कर शिकायत दर्ज कराएं।

iii) मुताल्लिका एयरलाईंस के पास गुमशुदा सामान की शिकायत दर्ज कराकर शिकायत की एक कॉपी (PIR) अपने पास महफूज रखें।

iv) अगर आपका गुमशुदा सामान हज की आखिरी फ्लाईट की वापसी तक न मिल पाए तो अपने मुताल्लिका सफरी कागजात के साथ और गुमशुदा सामान की दर्ज की गई शिकायत की बिना पर मुताल्लिका हवाई कंपनी से बराहे रास्त अपने सामान के हरजाने/मोआवजे का दावा दायर कर सकते हैं।

v) गुमशुदा सामान के मुआवजे का दावा करने की आखिरी तारीख **10 नवंबर 2016** होगी।

24. बीमा के दावे का तरीका:

हज कमेटी ऑफ इंडिया हुज्जाजे कराम के लिए इंश्योरेंस/हरजाने की अदाएगी का नज्म करती है। नकद रकम (सऊदी रियाल) और बैगेज के गुम हो जाने की सूरत में कौंस्लेट जनरल हिंद,जद्दा की जानिब से सही तरीके से जांच करने के बाद मामले की अस्लीयत और दावे की दरख्वास्त की जवाजियत पर फैसला किया जाता है। ऐसे आजमीने कराम जिन का सामान या रकम गुम हो जाए तो उन्हें मक्का मुकर्रमा/मदीना मुनव्वरा में हिंदुस्तानी हज मिशन के जनरल वेलफेयर विंग से रुजू करना चाहिए। खुदा-ना-ख्वास्ता किसी नागहानी मौत या माजूरी होने पर इंश्योरेंस की रकम के दावे को हज कमेटी ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के जरिए से तय करती है। इस बारे में हज कमेटी ऑप इंडिया कौंस्लेट जनरल ऑफ इंडिया, जद्दा से तमाम कागजात हासिल करके इंश्योरेंस कंपनी को मामला तय करने के लिए रवान करती है। अस्पताल में दाखिल होने या माजूरी की सूरत में हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजी के वतन वापसी के खर्च व व्हील चेयर स्ट्रेचर के खर्च बर्दाश्त करती है। हाजी के सऊदी अरबिया में कदम रखते ही इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है और सऊदी अरबिया छोड़ते ही जिम्मेदारी खत्म हो जाती है।

25. पाबंदी वाली चीजें व दीगर मम्नूआत:

i) किसी भी किस्म की आतिश गीर चीजे जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल और स्टोव्ह वाली चीजें किसी भी शक्ल में अपने साथ न ले जाएं। अगर किसी आजिम को मम्नूआ चीजों के साथ पाया गया तो उसे सऊदी कानून के तहत सजा दी जाएगी।

ii) खशखश, वायग्रा (Viagara) गोली, जिंसी तेल या क्रीम, मस्नूई कपूर, सिस्टोन, खमीरा, गुटखा, खैनी, गुल, पिपरमिंट या इस तरह की कोई भी नशीली चीजों को ले जाने पर पाबंदी है। इमबारकेशन पॉईंट पर कार्यरत अफसरान को इन प्रतिबंधित सामान को ले जाने से रोकने का अखत्यार है।

iii) सऊदी अरबिया में आने के वक्त अपने साथ किसी भी किस्म का सियासी लिट्रेचर, गंदी तस्वीरेंया इस तरह की कोई भी जिंसी सामान लाने पर पाबंदी है। सऊदी हुकूमत ने मजीद आगाह किया है कि ऐसे शख्स को, जो इन हिदायात की खिलाफवर्जी करेंगे सख्त तरीन सजा दी जाएगी।

iv) सऊदी हुकूमत ने अनाज पके हुए या कच्ची हालत में अपनी मम्लिकत में लाने पर पाबंदी आयद कर दी है। लिहाजा आजिमीने हज को तेल, घी, अचार, चटनी, मछली, मिठाईयां, तरकारी, फल या इन जैसी दूसरी चीजों को अपने सामान के साथ या किसी दूसरे तरीके से सऊदी अरबिया पहुंचाने की इजाजत न होगी। जद्दा/मदिना या हिंदुस्तानी एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम ऐसी चीजें जब्त कर लेंगे और आजमीने हज को उसके नतीजे में तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा आजमीने हज को उनके फायदे के लिए मशवरा दिया जाता है कि हज के लिए रवाना होते वक्त वह खाने पीने की चीजें लेकर न जाएं।

v) आजमीने हज को हिदायत दी जाती है कि वह अपने साथ टिकट, जरूरत से ज्यादा रकम और दीगर कीमती चीजें लेकर मीना/अरफात न ले जाएं। मीना में खाने पकाने पर सख्त पाबंदी है, इस लिए आजमीन से इस्तेदा है कि वह अपने साथ गैस कूकर, मिट्टी के तेल का स्टोव्ह वगैरा मीना में न ले जाएं।

vi) मदीना मुनव्वरा के मरकजिया इलाके में खाना पकाने की सख्त मनाई है। दूसरे इलाकों में खाना पकाने की सहूलियात अगर दस्तयाब हो तो उसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

vii) सऊदी हुकूमत आजमीने हज को तिजारती लेन देन की इजाजत नहीं देती। इसलिए आजमीने हज को इत्तेला दी जाती है कि अपने साथ तिजारती, जरूरत से ज्यादा सामान ले जाने पर पाबंदी है। इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले आजमीन के सामान की जब्तगी की वजह से उड़ान छूट जाए तो वह उसवे खुद जिम्मेदार होंगे। ऐसी सूरत में किराए की रकम भी जब्त कर ली जाएगी।

viii) अगर कोई फकीर / भिखारी हाजी की शक्ल में हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से हज पर जाएगा तो उसके खिलाफ मौजूदा कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी साथ ही सफरे हज को किसी भी हालत में रद्द कर दिया जाएगा और उसे हिरासत में लिया जाएगा । जमा की गई रकम जब्त कर ली जाऐगी ।

26. <u>रक़म की वापसी:</u>

हज दरख्वास्त की मन्सूखी पर आजिमे हज को नीचे दी हुई कटौती अदा करनी होगी।

नंबर शुमार	तफसीलात	कटौती एक आजिमे हज
1	30 जुन 2016 तक	1000 रुपए
2	1 जुलाई 2016 से 31 जुलाई 2016	5,000 रुपए
3	1 अगस्त 2016 से मुख्तास फ्लाईट की तारीख तक	10,000 रुपये
4	गैर हाजिर (Non-Reporter)	20,000 रुपये
5	नो शो (No-Show)/ हवाई जहाज में सीट कन्फर्म करने के बाद गुमशुदा/सफर के कागजात हासिल करने के बाद	25,000 रुपये

i) बहरहाल इन जवाबित का इत्लाक ऐसे आजिम पर नहीं होगा जिनके सफर की मन्सूखी इंतेकाल या ऐसी तश्वीशनाक बीमारी/ एक्सीडेंट की वजह से हो जिससे आजिमे हज सफर के नाकाबिल करार पाए। ऐसी सूरते हाल में सिफ 1000/- रुपए फी हाजी काट लिए जाएंगे।

ii) इन जवाबित का इत्लाक ऐसे आजिम के साथ हमसफर पारिवारिक सदस्यों पर भी नहीं होगा जिनके सफर की मन्सूखी ऊपर दी गई दफा (i) में दर्ज हालात की बिना पर हो। याद रहे कि पारिवारिक सदस्यों में सिर्फ मां-बाप, शौहर-बीवी, बेटा-बेटी और भाई-बहन ही शामिल हैं। पस उनसे भी सिर्फ 1000/- रुपए फी हाजी काटे जाएंगे।

iii) चूंकि चार्टर फ्लाईट की टिकटें न काबिले मुन्तकिल होती हैं, इस लिए वापसी सफर के टिकट को किसी भी वजूहात की बिना पर इस्तेमाल में न लाने की सूरत में वापसी के सफर का किराया आजिमे हज को लौटाया नहीं जा सकता। ब-जुज़ आजिमे हज के सऊदी अरबिया में इंतेकाल की सूरत में, जबकि नाम-जद (Nominee) को मरहूम हाजी के सफर का एक तरफा हवाई जहाज का किराया मिलेगा।

iv) गैर हाजिर (Non-Reporter) वह आजिमे हज है जिसे फ्लाईट की तारीख दी गई हो मगर उसने मुताल्लिका रवानगी के मरकज पर रिपोर्ट न किया हो। मुताय्यना फ्लाईट के चले जाने के बाद किसी आजिमे हज की जानिब से सफर को रद्द करने की दरख्वास्त मिलने पर भी आजिमे हज गैर हाजिर (Non-Reporter) माना जाएगा।

v) **30 जुन 2016** तक मिली मनसूख़ी की दरख्वास्तों से मुतअल्लिक़ रुकूम हज से पहले वापस कर दी जाऐंगी। इस मुक्कररह तारीख के बाद मिलनेवाली मनसूख़ी की दरख्वास्तो की रक़म की वापसी का काम मौसमे हज के इख्तेतम के बाद ही किया जाएगा। सफरे हज की मनसूख़ी की दरख्वास्त के साथ जमा की गई रक़म की पे-इन-स्लीप, मेडिकल/मौत की सनद की कॉपियां मुन्सलिक करें।

vi) जिस जरिए से ऑन लाईन रक़म जमा कराई गयी होगी, रक़म की वापसी के लिए उसी जरिए का इस्तेमाल किया जाएगा।

27. आजिमे हज की कानूनी हैसियतः

सभी मुताल्लिका हजरात को मुत्तेला किया जाता है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया बगैर किसी मोआवजे या मुनाफे की तवक्को के हुज्जाजे कराम के लिए काम करती है। हुज्जाज से जो मुतय्यना रकम वसूल करती है वह मुताल्लिका एजेंसियों की जानिब से मुहैय्या की जाने वाली सहूलियात के एवज उन एजेंसियों को अदा करनी होती है। ब-जुज़ इंतेजामिया अखराजात ब-शुमूल रियासती हज कमेटी का मोआवजे के जो कि पैराग्राफ 14 [C] में दर्ज है। इसलिए हज कमेटी ऑफ इंडिया सारेफीने तहफ्फुज एक्ट, 1986 की जद में नहीं आती है। आजिमीने हज नोट फरमा लें कि वह फराहम की गई खिदमात में कमी या किसी भूल की वजह से जो कि हज कमेटी के इख्तियारात से बाहर हो, हज कमेटी से सारेफीने तहफ्फुज एक्ट या किसी और कानून के तहत कोई हरजाना नहीं तलब कर सकते।

28. अदालती कार्रवाईः

डाक के महकमे की कोताही, खत के देर से पहुंचने, खत डाक में गायब हो जाने, तस्दीकी कार्ड या हज के बारे में किसी खत के गलत जगह पहुंचने के नतीजे में हज कमेटी ऑप इंडिया मुंबई किसी भी सूरत में जिम्मेदार नहीं होगी।

कोई तनाजा पैदा होने की सूरत में अदालती कार्रवाई का हक सिर्फ मुंबई उज़्मा की अदालतों को ही होगा।

मकामः मुंबई
तारीखः 31 दिसेंबर 2015

दस्तखत/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
हज़ कमेटी ऑफ इंडिया

SOLEMN DECLARATION AND UNDERTAKING

for Reserved Category - A (Age 70+ applicant)

I, Mr./Mrs./Miss ____

S/W/D/o.______________________________, Indian citizen, do hereby solemnly declare on oath **in the name of ALLAH that :**

1. I have already attained the age of 70 years as on 13th January, 2016 and my date of birth as per my International Passport is ______________.
2. I am also aware that Qurrah (draw of lots) will be held within the Reserved Category if applications received under the Reserved Category are more than the allotted Quota of the State. Hence, I shall not claim selection in such a situation as a matter of right.
3. I have never proceeded for Haj either through Haj Committee of India or Private Tour Operator or by any other means. Thus, this is my first Haj journey in my entire life-time. If it is detected at any stage that I have already performed Haj, my seat shall be cancelled at any stage and the entire amount deposited shall be forfeited.
4. Mr./Mrs./Miss ____ S/W/D/o.______________, aged ______ years, Indian citizen who is my relative i.e. my Husband / Wife /Brother / Sister / Son / Daughter / Son-in-law / Daughter-in-law/ Grandson / Granddaughter/ Nephew / Niece, shall be my companion.

Date : ______________________________

Place : **Signature / Thumb impression of the applicant.**

5. We undertake and mutually agree to take care of each other and belongings of each other during entire Haj journey.
6. We have read / understood the Guidelines for Haj 1437 (H) – 2016 (C.E.), specifically with regard to eligibility (para – 4), payments and confirmation (para – 14), cancellation (para – 15), accommodation and facilities in Kingdom of Saudi Arabia (para – 16), flight (para – 19), baggage (para (22), refunds (para – 26) and undertake to abide by the same.
7. We authorize Haj Committee of India to procure Saudi Riyals on our behalf for disbursal / remittance to CGI.
8. We understand that Haj Committee of India works without profit motive and does not attract the provisions of Consumer Protection Act, 1985. Further, we understand that the Courts of Greater Mumbai only shall exercise jurisdiction in all matters of dispute.
9. We hereby authorize HCoI to send SMS on our Mobile Nos., even if we are registered under DND registry.
10. Particulars given by us in HAF, Solemn Declaration and Undertaking are true and correct to the best of our knowledge. We do hereby affirm and declare that in case we have suppressed material information or given false / incorrect Declaration / Undertaking, HCoI shall forfeit the amount deposited by us and we shall be liable for prosecution.

Date : ______________________________

Place : **Signature / Thumb impression of the applicant (Age 70+ pilgrim)**

Date : ______________________________

Place : **Signature / Thumb impression of the co-applicant (companion)**

SOLEMN DECLARATION AND UNDERTAKING

for Reserved Category - B (Fourth Timers)

I, Mr./Mrs./Miss ____

S/W/D/o.______________________________, Indian citizen, do hereby solemnly declare on oath **in the name of ALLAH that :**

1. I had applied for Haj Pilgrimage consecutively since last three years and was registered under Cover No.__________________ (Haj-2013), Cover No.__________________ (Haj-2014) and Cover No.__________________ (Haj-2015) but was not selected in the Qurrah / could not proceed for Haj.
2. This is my FOURTH consecutive year of making Haj Application.
3. I am also aware that Qurrah (draw of lots) will be held within the Reserved Category if applications received under the Reserved Category are more than the allotted Quota of the State. Hence, I shall not claim selection in such a situation as a matter of right.
4. I have never proceeded for Haj either through Haj Committee of India or Private Tour Operator or by any other means. Thus, this is my first Haj Journey in my entire life-time. If it is detected at any stage that I have already performed Haj, my seat shall be cancelled at any stage and the entire amount deposited shall be forfeited.
5. We have read / understood the Guidelines for Haj 1437 (H) – 2016 (C.E.), specifically with regard to eligibility (para – 4), payments and confirmation (para – 14), cancellation (para – 15), accommodation and facilities in Kingdom of Saudi Arabia (para – 16), flight (para – 19), baggage (para (22), refunds (para – 26) and undertake to abide by the same.
6. I authorize Haj Committee of India to procure Saudi Riyals on my behalf for disbursal / remittance to CGI.
7. I understand that Haj Committee of India works without profit motive and does not attract the provisions of Consumer Protection Act, 1985. Further, I understand that the Courts of Greater Mumbai only shall exercise jurisdiction in all matters of dispute.
8. I hereby authorize HCoI to send SMS on my Mobile Number even if I am registered under DND registry.
9. Particulars given by me in HAF, Solemn Declaration and Undertaking are true and correct to the best of my knowledge. I do hereby affirm and declare that in case I have suppressed material information or given false / incorrect Declaration / Undertaking, HCoI shall forfeit the amount deposited by me and I shall be liable for prosecution.

Date : ______________________________

Place : **Signature / Thumb impression of the applicant.**

10. I am a non selected applicant Reserved Category-B of Haj - 2015. My waiting list number of Haj - 2015 is __________________.

Date : ______________________________

Place : **Signature / Thumb impression of the applicant.**

SOLEMN DECLARATION AND UNDERTAKING

for General Category

I, Mr./Mrs./Miss ____

S/W/D/o.________________________________, Indian citizen, do hereby solemnly declare on oath **in the name of ALLAH that :**

1. I am aware that as per Government of India's policy a person can perform Haj only "Once in a life time" through Haj Committee of India.
2. I have never performed Haj through Haj Committee of India in the past and hence I am eligible to apply for Haj 2016, as per Guidelines of Haj-2016. I am aware that Repeaters are not eligible for Haj-2016 and if it is detected at any stage that I have already performed Haj through Haj Committee of India, my seat shall be cancelled and the entire amount deposited shall be forfeited.
3. I have read / understood the Guidelines for Haj 1437 (H) – 2016 (C.E.), specifically with regard to eligibility (para – 4), payments and confirmation (para – 14), cancellation (para – 15), accommodation and facilities in Kingdom of Saudi Arabia (para – 16), flight (para – 19), baggage (para (22), refunds (para – 26) and undertake to abide by the same.
4. I authorize Haj Committee of India to procure Saudi Riyals on my behalf for disbursal / remittance to CGI.
5. I hereby authorize HCoI to send SMS on my Mobile Number even if I am registered under DND registry.
6. Particulars given by me in HAF, Solemn Declaration and Undertaking are true and correct to the best of my knowledge. I do hereby affirm and declare that in case I have suppressed material information or given false / incorrect Declaration / Undertaking, HCoI shall forfeit the amount deposited by me and I shall be liable for prosecution.

Date : ____

Place : **Signature / Thumb impression of the applicant.**

SOLEMN DECLARATION AND UNDERTAKING

for REPEATERS in case of Mehram / Companion of age 70+ pilgrim

I, Mr./Mrs./Miss ____

S/W/D/o.______________________________, Indian citizen, do hereby solemnly declare on oath **in the name of ALLAH that :**

1. I am aware that as per Government of India's policy, a person can perform Haj only "Once in a life-time" through Haj Committee of India and that this condition is waived only for Mehram (Male Member) and Companion of age 70+ pilgrims, if no other Mehram / Companion (who has not performed Haj through HCoI) is available and if he/she pays full airfare as decided by Ministry of Civil Aviation.
2. I hereby declare that I have performed Haj through Haj Committee of India in the past in the year(s) _______________.
3. I declare that no other Mehram / Companion (who has not performed Haj through Haj Committee of India earlier) is available to accompany the following co-applicant(s):-

   (1) ____

   (2) ____

   (3) ____

   (4) ____
4. I am aware that if the concerned lady Pilgrim or 70+ Pilgrim cancel their Pilgrimage, then my seat as Repeater Pilgrim (accompanying the lady members and / or the 70+ Pilgrim/s) shall also be cancelled automatically.
5. I am ready to pay FULL AIR FARE, as decided by the Ministry of Civil Aviation.
6. I have read / understood the Guidelines for Haj 1437 (H) – 2016 (C.E.), specifically with regard to eligibility (para – 4), payments and confirmation (para – 14), cancellation (para – 15), accommodation and facilities in Kingdom of Saudi Arabia (para – 16), flight (para – 19), baggage (para (22), refunds (para – 26) and undertake to abide by the same.
7. I authorize Haj Committee of India to procure Saudi Riyals on my behalf for disbursal / remittance to CGI.
8. I hereby authorize HCoI to send SMS on my Mobile Number even if I am registered under DND registry.
9. Particulars given by me in HAF, Solemn Declaration and Undertaking are true and correct to the best of my knowledge. I do hereby affirm and declare that in case I have suppressed material information or given false / incorrect Declaration / Undertaking, HCoI shall forfeit the amount deposited by me and I shall be liable for prosecution.

Date : ____

Place : **Signature / Thumb impression of the applicant.**

Medical Screening and Fitness Certificate

(To be submitted by the selected pilgrims only)

To be obtained from a registered Medical Practitioner MBBS / Government Doctor.

1. Cover No. : ....
2. Name : ....
3. Father's/Husband's Name : ....

   A. Diabetic (Tick (√) as applicable) : Yes ☐ No ☐

   B. Blood Pressure : High ☐ Low ☐ Normal ☐

   C. Past Medical History of : Hypertension / DM (Diabetes Mellitus) / IHD (Ischemic Heart Disease) / Stroke (Cerebrovascular accident) / Chronic renal failure / psychiatry diseases :

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

It is certified that particulars mentioned above are correct and the applicant is fit to undertake Haj journey.

Name of the Doctor ....

Registration No. ....

Seal

Signature / Thumb Impression of Applicant

Verified by Registered Medical Practitioner
(with complete address, Seal & Signature)

CANCELLATION REQUEST FORM

The Chief Executive Officer
Haj Committee of India,
Haj House,
7-A, M.R.A. Marg (Palton Road),
Mumbai - 400 001.

HAJ-2016

COVER NO.________________________

Sir,

It is requested to cancel the pilgrim's listed below and grant admissible refund amount.

A	**DETAILS OF PILGRIM (S) TO BE CANCELLED**		
	SR. NO.	NAME OF THE CANCELLED PILGRIM (s)	PASSPORT NO.
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		

B	**REASON OF CANCELLATION** Please tick (√) any one	DEATH ☐	MEDICAL ☐	FINANCIAL ☐	DOMESTIC ☐	OTHERS ☐
C	**ENCLOSURES** Please tick (√)	Claim Letter ☐	Copy of Pay in Slip ☐	Medical / Death Certificate ☐	Any Other (Please Specify) ☐	

D	**In case of Death, details of Nominee as per Haj Application Form**					
	Name				Relation	
	BANK DETAILS OF NOMINEE (attach copy)					
	Name of the Account Holder	Bank Name	Branch Name	Branch Code	Account No.	IFSC Code

I / We certify that the particulars given above are true and correct.

Date :

Place: **Signature (s)**

It is certified that the particulars mentioned above are correct and as per entries in the Haj Application Form (s). It is recommended that the Haj application of above referred pilgrim(s) may therefore be cancelled.

Date :

Place: **Executive Officer**
State / UT Haj Committee

Forward to: - Haj Committee of India, Haj House, 7-A, M.R.A. Marg, Mumbai- 400 001. Fax No. (022) 22620920 / 22630461

LIST OF THE EXECUTIVE OFFICER, STATE / UT HAJ COMMITTEES

Sr.No.	Name of the State/UT	ADDRESS	Tel No. / Fax No.
1.	ANDAMAN & NICOBAR ISLAND	The Statistical Officer & Executive Officer, A & N State Haj Committee, Dte. of Social Welfare Building, 2nd Floor (R. No.309 & 310) Goalghar Junction, (P. B. No.148 H.P.O), Port Blair - 744102.	03192-233051 / 03192-230781 anhaj.committee@gmail.com
2.	ANDHRA PRADESH / TELANGANA	The Executive Officer, Andhra Pradesh / Telangana State Haj Committee, A.P. Haj House, Razzak Manzil, Public Garden's Road, Nampally, Hyderabad - 500 001, Andhra Pradesh.	Tel/ Fax : 040 23236310 04023298793 apstatehajcommittee@yahoo.co.in
3	ASSAM	The Executive Officer, Assam State Haj Committee, Secretariat Complex, (Backside Treasury Office Dispur) F Block, Room No. 3, Post : Assam, Sachivalaya, Dispur, Guwahati - 781 006, Assam.	Telefax : 0361 2229296 shcassam@yahoo.in
4	BIHAR	The Executive Officer, Bihar State Haj Committee, Haj House, 34, Harding Road (Ali Imam Path), Patna - 800 001, Bihar.	0612-2203315 / 0512-2217072 Telefax : 0612-2201665 biharstatehajcommittee@gmail.com
5	CHANDIGARH	The Sub-Divisional Magistrate-CumCo-ordinator State/UT Haj Committee U.T. Chandigarh, Room No. 23, 1st Floor, State/UT Office Building, Sector-17, Chandigarh - 160 001.	0172-2700053 FAX-0172-2704548
6	CHHATTISGARH	The Executive Officer, Chhattisgarh State Haj Committee, Behind Rang Mandir, Chota Para, Raipur- 492 001, Chhattisgarh.	Telefax : 0771-4266646 / 426653 Fax : 0771-2545006 / 2536786 cg_hajcommittee@yahoo.co.in
7	DADRA AND NAGAR HAVELI	The Member Secretary / Resident Deputy Collector, Dadra & Nagar Haveli State Haj Committee, Collector Office, Silvasa 396 230, Dadra and Nagar Haveli.	0260-2642787 / 0260-2642106 Fax : 0260-2642340 asha.chaudhary81@nic.in
8	DAMAN & DIU	The Deputy Collector and Executive Officer, Daman & Diu State Haj Committee, Administration of Daman & Diu, Office of the Collector, Daman - 396 220.	0260-2230922 0260-2230698 FAX- 0260-2230049
9	DELHI	The Executive Officer, Delhi State Haj Committee, Haj Manzil, Turkman Gate, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002..	011-23230507 Fax : 011- 23234041 delhistatehajcommittee@gmail.com
10	GOA	The Executive Officer, Goa State Haj Committee & Under Secretary(Home), Government of Goa, Cabin No.118, 2nd Floor, New Secretariat Complex, Porvorim - 403 521, Goa.	Tele.Fax :0832-2772444 / 2772844
11	GUJARAT	The Executive Officer, Gujarat State Haj Committee, Block No.08, 8th Floor, Sachivalaya, Gandhinagar- 382 010, Gujarat.	079-23250987 / 23277182 079-23254265 / 22180410 hajcommitteegujarat@yahoo.com
12	Haryana	The Executive Officer, Harayana State Haj Committee, & Secretary to Government of Haryana, Home-II Department, Room No. 50-B, 6th Floor, Harayana Civil Secretariat, Chandigarh - 160 001, Haryana.	0172-2740229 Fax : 0172-2740526 haryanahaj@gmail.com haryana.state@yahoo.in
13	HIMACHAL PRADESH	The Deputy Secretary (Home) & Executive Officer, Himachal Pradesh State Haj Committee, Home "C" Department, 4th Floor, Room No. 405, Armsadale Building, Secretariat, Shimla - 171 002, Himachal Pradesh.	0177-2626450 / 2621907 Fax:0177-2621154
14	JAMMU & KASHMIR	The Executive Officer, Jammu & Kashmir State Haj Committee, J&K Baitul Hujjaj (Haj House), Bemina, Srinagar- 190 017, Jammu & Kashmir.	0194-2495367 Fax : 0194-2491456 jkstatehaj@yahoo.in jkstatehaj@gmail.com
15	JHARKHAND	The Executive Officer, Jharkhand State Haj Committee, Audrey House, Kankee Road, Ranchi - 834 004, Jharkhand.	0651-2283100 Fax : 0651- 2400890 jharkhandstatehajcommittee@yahoo.co.in

16	Karnataka	The Executive Officer, Karnataka State Haj Committee, Sadath Haj House, No. 84 A, Richmond Road, Richmond Town, Bengaluru - 560 025, Karnataka.	080-22244434 Fax : 080-22240113 / 41272349 info@karhaj.in
17	KERALA	The District Collector & Executive Officer, Kerala State Haj Committee, Haj House, Calicut Airport, P.O. Mallapuram 673 647, Kerala.	0483-2710717 / 2717571 Fax: 0483-2717572 keralahajcommittee@gmail.com
118	LAKSHADWEEP	The Executive Officer, Union Territory Haj Committee of Lakshdweep, Indira Gandhi Road, Kavaratti Island, Kavaratti 682 555, Lakshadweep	04896-262321 Fax : 04896-262368 lacajjjj@gmail.com
19	MADHYA PRADESH	The Executive Officer, Madhya Pradesh State Haj Committee, Behind Tajul Masajid, Sultania Road, Bhopal - 462 001, Madhya Pradesh	0755-2530139 Tel/ Fax : 0755-2538039 FAX ; 0755-4204454 mpshcbhopal@yahoo.com mpshcbhopal@gmail.com
20	MAHARASHTRA	The Executive Officer, Maharashtra State Haj Committee, Saboo Siddique Musafirkhana, Ground Floor, Room No.6 & 7, Lokmanya Tilak Marg, Mumbai - 400 001, Maharashtra	022-22626786 Fax : 022-22678679 mshc@indiatimes.com maharashtrashc@gmail.com
21	MANIPUR	The Executive Officer, Manipur State Haj Committee, Old Guwahati High Court Complex, North A.O.C., Imphal - 795 001, Manipur.	Telefax: 0385-2454586/2461063 manipurstatehajcommittee.@gmailcom
22	ODISHA	The Executive Officer, Odisha State Haj Committee, Old Secretariat, Cuttack - 753001, Odisha.	Fax : 0671-2306038 / 2301185 commissionerofwakfcuttack@yahoo.com
23	PUDUCHERRY	The Executive Officer, Puducherry State Haj Committee, 1st Floor, Salamath Manzil, No. 5, Yanam Venkatachalapillai Street, Puducherry - 605 001.	0413-2233254/2343268/2222344 Fax : 0413-2227551 pyshc@hajcommittee.com
24	PUNJAB	The Principal Secretary (Home), Govt. of Punjab & Executive Officer, Punjab State Haj Committee, Room no.9, 7th Floor, Sector 21, Punjab Civil Secretariat, Chandigarh - 160 001, Punjab.	0172-2748519 pbshc@yahoo.co.in
25	Rajasthan	The Executive Officer, Rajasthan State Haj Committee, (GR-III) Department (Government Secretariat), Jaipur - 302 005, Rajasthan.	0141-2227246 Telefax : 0141-2227016 rajasthanstatehajcommittee@gmail.com
26	TAMIL NADU	The Executive Officer, Tamil Nadu State Haj Committee, 3rd Floor, Rosy Tower, No. 13 (Old No.7), Mahathma Gandhi Road, (Nungambakkam High Road), Chennai - 600 034, Tamil Nadu.	044-28252519 / 28227617 Fax : 044-28276980 tnhajj786@vsnl.com tnhajj786@bsnl.com
27	TRIPURA	The Executive Officer, Tripura State Haj Committee, Old Secretariat Complex, Agartala - 799 001, Tripura.	Tel/Fax : 0381-2327583 0381-2325841 trpshc@gmail.com
28	UTTAR PRADESH	The Executive Officer, Uttar Pradesh State Haj Committee,10-A, Vidhan Bhavan Marg, Lucknow - 226 001, Uttar Pradesh	0522-2622458 Tel/ Fax : 0522-2620980 shcuplko@rediffmail.com
29	UTTARAKHAND	The Executive Officer, Uttarakhand State Haj Committee, Haj House, Piran Kaliyar, Roorkee, Haridwar- 247667, Uttarakhand.	Tel/ Fax : 01332-297520/297522 ukshcommittee@yahoo.com
30	WEST BENGAL	The Executive Officer, West Bengal Haj Committee and Director, MDW Department. Haj House (BAITUL HUJJAJ), 26- B, Dilkhusha Street, Kolkata - 700 017, West Bengal.	033-22143310 / 22141562 / 22870274 / 22903617 Fax : 033-22141531 wbshck@yahoo.com wbshc2011@gmail.com

हज कमेटी ऑफ इंडिया मुख्तलीफ सेकशन/ डिपर्टमेन्ट के टेलीफोन नंबर			
झोन	**प्रदेशीय/यूनियन टरिटरी**	**टेलीफोन नंबर**	**ईमेल आईडी**
झोन - I	दिल्ली, चंडीगढ़, हरयाना, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर	२२७१७१४३ २२७१७१४०	zone01.hci@gov.in
झोन - II	बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	२२७१७१०८	zone02.hci@gov.in
झोन - III	आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना	२२७१७११४	zone03.hci@gov.in
झोन - IV	अंडोमान व निकोबार, आसाम, मनीपुर, त्रिपुरा और मगरिबी बंगाल	२२७१७११६	zone04.hci@gov.in
झोन - V	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एण्ड ड्यू और दादरा व नगर हवेली	२२७१७१०९	zone05.hci@gov.in
झोन - VI	केरला, कर्नाटक, तामिल नाडु, लक्षद्वीप और पुडुचेरी	२२७१७११७	zone06.hci@gov.in
हज हाऊस सेकशन	हज हाऊस बूकिंग और रिहाइशी	२२७१७११३	hajhouse.hci@gov.in

سرزمینِ ممبئی سے

پہلا معیاری، علمی، دینی، دعوتی واصلاحی ماہنامہ،

حج کمیٹی آف انڈیا کا ترجمان،

ترغیبِ حج، تشویقِ حج اور انتظامِ حج میں اصلاح کا علمبردار،

حج کمیٹی آف انڈیا کے اصلاحات واقدامات کا دستاویز،

دعوتِ دین اور امنِ انسانی کا نقیب

ماہنامہ حج میگزین

علم وادب، دعوت وعزیمت ودعوتِ حج وعمرہ اور تعلیماتِ انسانیت کی

اس آواز کو گھر گھر پہنچائیے، خود ممبر بنیے اور دوسروں کو بھی بنائیے۔

پتہ: ماہنامہ حج میگزین، حج کمیٹی آف انڈیا، حج ہاؤس، پلٹن روڈ، ممبئی۔۴۰۰۰۰۱

رابطہ : 022 - 2271 7129 / E-mail : magazine.hci@gov.in

شرحِ خریداری:

سالانہ 100 روپے / **تاحیات** 3000 روپے

हज कमेटी ऑफ इंडिया

राब्ता :

फोन नं. : ०२२ - २२७१७१०० / २२६१२९८९ / २२६२०९२० (फॅक्स)

E-mail : reception.hci@gov.in

Website : hajcommittee.gov.in

हज हाउस, ७-ए, एम.आर.ए. मार्ग (पलटन रोड), मुंबई, ४००००१.